रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2017/आश्विन 5, 1939
No. 376] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2017/ASVINA 5, 1939

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2017

सं.जी/18–सीडब्ल्यूए/9/2017.—कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उपधारा 5 के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और उक्त संस्थान के लेखा परीक्षित लेखों को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

सीएमए कौशिक बनर्जी, सचिव

[विज्ञापन सं. III/4/असाधारण/243/17]

58वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2016–17

दि काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को इस संस्थान के भागों, समितियों, क्षेत्रों की उपलब्धियों और क्रियाकलापों तथा अध्यायों का उल्लेख करते हुए इस 58वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

निदेशालय और इसके कार्यकलाप

1. लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सीएएसबी)

सीएमए बलविन्दर सिंह, परिषद सदस्य की अध्यक्षता में वर्ष 2016–17 के दौरान लागत लेखांकन मानक बोर्ड की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड ने वर्ष 2016–16 की अवधि के लिए रोडमैप को भी अंतिम रूप दिया, जिसमें पहले से जारी सीएएस में संशोधन, सीएएस की प्रस्तावना में संशोधन, नए सीएएस तथा तत्संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणियों को तैयार करना और मौजूदा लागत लेखांकन मानकों पर इंडएस और जीएसटी के प्रभाव का पता लगाना शामिल है।

लागत लेखांकन मानक बोर्ड की सिफारिशों पर संस्थान की परिषद ने ''लागत लेखांकन मानकों का सीमित संशोधन (सीएएस)'' करने का अनुमोदन कर दिया था। लागत लेखांकन मानक बोर्ड ने मौजूदा लागत लेखांकन मानकों का अनुच्छेद–वार–अनुच्छेद का गहन विश्लेषण करने के बाद लागत लेखांकन मानकों (सीएएस–6, सीएएस–7, सीएएस–12, सीएएस–16 और सीएएस–17) का संशोधन किया था। इनके अतिरिक्त उपरोक्त सीएएस में परिवर्तन होने के कारण उनके परिणामी प्रभाव पडे थे और तदनुसार लागत लेखांकन मानकों (सीएएस–8, सीएएस–9, सीएएस–10, सीएएस–11,सीएएस–12, सीएएस–13, सीएएस–14, सीएएस–20, सीएएस–21 सीएएस–23 और सीएएस–24) में भी मामूली परिवर्तन किए गए थे। लागत लेखांकन मानकों के सीमित संशोधन और संशोधित लागत लेखांकन मानक डाउनलोड करने के लिए संस्थान की बेवसाईट

http://icmai.in/CASB/index.php पर उपलब्ध हैं। संशोधित लागत लेखांकन मानक 1अप्रैल, 2017 को अथवा उसके बाद तैयार किए जाने वाल लागत विवरणों के लिए लागू होंगे।

2. लागत लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड (सीएएएसबी)

लागत लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड ने सीएमए पी. राजू अय्यर की अध्यक्षता में वर्ष 2016–17 के दौरान 4 बैठकें की।

(1) लागत लेखांकन मानक/लागत लेखा–परीक्षा मानक : परिषद ने लागत लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की सिफारिशों पर ''लागत लेखा–परीक्षा मानक'' और ''लागत लेखा–परीक्षा के मानकों'' का पारस्परिक रूप से उपयोग करने का अनुमोदन कर दिया है। साथ ही परिषद ने ''लागत लेखा–परीक्षा के मानकों'' (एससीए) में परिभाषा को शामिल करने का भी अनुमोदन कर दिया है, जो कि संस्थान द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुरूप केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए लागत लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड की संशोधित प्रस्ताावना का भी परिषद ने अनुमोदन कर दिया है।

(2) लागत लेखा–परीक्षा मानकों पर व्यावहारिक मार्गनिर्देशन : लागत लेखा–परीक्षा के प्रत्येक मानक में आवश्यकताओं पर लागू दिशा–निर्देश निहित हैं। इसके बावजूद व्यावहारिक अभिधान को समझने के लिए व्यापक विवरण प्रस्तुत करने के लिए लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड लागत लेखा–परीक्षा पर व्यावहारिक दिशानिर्देश जारी करना आवश्यक समझता है। ''लागत लेखा–परीक्षा मानकों पर व्यावहारिक मार्गनिर्देशन'' (एससीए) 101–लेखा विवरणों की लेखा–परीक्षा आयोजना को संस्थान की बेवसाईट पर उपलब्ध कराया गया है। स्टेकहोल्डारों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर बोर्ड ने व्यापक ''लागत लेखा–परीक्षा मानकों पर व्यावहारिक मार्गनिर्देशन'' (एससीए) 101–119 का अनुमोदन किया है और यह डाउनलोड करने के लिए संस्थान की बेवसाईट पर उपलब्ध है।

(3) लागत लेखा–परीक्षा मानकों पर निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एससीए पर एफएक्यू) : बोर्ड ने लागत लेखा–परीक्षा मानकों पर निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एससीए पर एफएक्यू) का अनुमोदन कर दिया है। इन पर स्टेकहोल्डारों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हो गए हैं। लागत लेखा–परीक्षा मानकों पर निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एससीए पर एफएक्यू) का अंतिम विवरण संस्थान की बेवसाईट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा

(4) लागत लेखा–परीक्षा मानकों पर मानक तकनीकी समिति : संस्थान द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रेषित किए गए लागत लेखा–परीक्षा (एससीए) के 15 मानकों के प्रत्युत्तर में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने उपरोक्त एससीए की जांच करने के लिए ''लागत लेखा–परीक्षा मानकों पर मानक संबंधी स्थाई तकनीकी समिति'' का गठन किया है। संस्थान का वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी) भी इस समिति का सदस्य है। इस समिति ने 5 एससीए की जांच कर ली है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अंतर्गत इन पांच एससीए 105–109 का अनुमोदन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(5) क्षेत्र विशिष्ट अध्ययन : कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने संस्थान को विस्तार से अध्ययन करने और बन्दरगाहों, विमानपत्तनों और एयरलाईन्स तथा मार्गों और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और निर्माण उद्योग के प्रचालनों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के साथ–साथ उसके मॉडल लागत विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उनका उपयुक्त कवरेज सुनिश्चित करने के विचार से कंपनी (कॉस्ट रिकार्डस और लेखा–परीक्षा) नियम, 2014 में इन क्षेत्रों के विवरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ऐसे अध्ययन करने की आवश्यकता है।

3. गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी)

श्री शक्ति सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 24 मई, 2016 को गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इस संशोधित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड में अन्य सदस्यों में सीएमए नरेन्द्र कुमार भोला, सीएमए प्रवीर कुमार (जिन्हें 6 सितंबर, 2016 को सुश्री वी. राय चौधरी के स्थान पर नामित किया गया है), सीएमए सिवारमण गोपालकष्णन और सीएमए कुणाल बनर्जी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में संशोधित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की दो बैठकें हुई हैं।

4. परीक्षा निदेशालय

फाउंडेशन, मध्यवर्ती, अंतिम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए वर्ष में जून और दिसंबर माह में दो बार परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऐसी परीक्षा जून, 2016 में 118 परीक्षा केन्द्रों, जिनमें 3 विदेशी केन्द्र शामिल हैं और दिसंबर, 2016 में 116 परीक्षा केन्द्रों, जिनमें 3 विदेशी केन्द्र शामिल हैं, आयोजित की गई थी। जून, 2016 में आयोजित परीक्षा में 45,852 अभ्यर्थियों ने और दिसंबर, 2016 में आयोजित परीक्षा में 47,923 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों और सभी संबंधित अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता से सभी परीक्षाओं के परिणाम समय सारणी का अनुपालन करते हुए और मानकों के समनुरूप सुचारू रूप से प्रकाशित किए गए थे। परीक्षा की शर्तों के अनुसार जून, 2016 और दिसंबर, 2016 में आयोजित परीक्षाओं के लिए अंकों के सत्यापन के परिणाम संस्थान की बेवसाईट (www.icmai.in) पर उपलब्ध करा दिए गए थे।

5. अध्ययन और शिक्षाविद निदेशालय

टी एण्ड ई एफ समिति ने वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप पूरे किए :– (क) अर्थात अध्ययन निदेशालय – अध्ययन निदेशालय को छात्रों के प्रशासन और हितधारकों (अर्थात क्षेत्रीय परिषद/चैप्टर/सीएमएएससी) के साथ जन संपर्क से संबंधित क्रियाकलाप सौंपे गए हैं और (ख) शैक्षणिक–शैक्षणिक विभाग को गुणतापरक सुधार और कौशल विकास उपायों के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है। कई क्रियाकलाप ऐसे थे, जो दोनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सहयोग करके और प्रभावी पर्यवेक्षण करके पूरे किए गए।

- **पाठ्यक्रम 2016 शुरू करना –सफलता की दिशा में यात्रा :** 1 अगस्त, 2016 से पाठ्यक्रम 2016 शुरू किया गया है। पाठ्यक्रम 2016 का डिजायन ऐसे भावी युवा व्यवसायिकों को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में गुणात्मक और कौशल विकास उपायों द्वारा प्रभावशाली ढंग से नीतिगत प्रबंधन करके ''मेक इन इंडिया'' के स्वपन को साकार करने में सक्षम हैं। पाठ्यक्रम 2016 आईएफएसी (अंतरराष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ) और आईएसईबी (अंतरराष्ट्रीय लेखांकन शिक्षा मानक बोर्ड) और आईईसी (अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मार्गनिर्देशन) द्वारा प्रारंभिक व्यवसायिक विकास – व्यवसाय कौशल (संशोधित) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है।

❖ **मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए क्षेत्र–वार पंजीकरण :**

वर्ष 2016–17 के दौरान मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत किए गए छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:–

वर्ष	डब्ल्यूआईआरसी	एसआईआरसी	ईआईआरसी	एनआईआरसी	कुल
2013–14	7523	10175	4769	5119	27586
2014–15	5194	8733	3273	3803	21003
2015–16	3306	7133	2378	2677	15494
2016–17	2922	6397	2179	2193	13691

❖ **फाउंडेशन पाठ्यक्रम में क्षेत्र–वार प्रवेश :**

वर्ष	डब्ल्यूआईआरसी	एसआईआरसी	ईआईआरसी	एनआईआरसी	कुल
2013–14	3043	4734	2476	3669	13922
2014–15	2657	5366	2046	2961	13030
2015–16	2204	5442	1834	2452	11932
2016–17	2003	4663	1895	2040	10601

❖ **समाजिक उत्तरदायित्व :**

- सीएमए पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले दिव्यांग छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति/शुल्क से छूट।
- आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिमाशाली छात्रों के लिए शुल्क से छूट और छात्रवृत्ति।
- अल्पसंख्यक आयोग सीएमए पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को सहायता प्रदान करता है।
- सामाजिक नेटवर्किंग मीडिया द्वारा सहयोग प्राप्त करना।
- देशभर में जीवनवृति जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना।

6. आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के संदर्भ में नियम 14 के तहत की गई परिकल्पना के अनुसार आईसीएआई की आंतरिक शिकायत समिति दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहती है, जो इस प्रकार है :–

वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक) यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	2
वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक) निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहे मामलों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक) यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	6
नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	लागू नहीं

7. व्यावसायिक विकास निदेशालय (पीडी)

❖ **सरकार, पीएसयू, बैंकों और अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व :** व्यावसायिक विकास निदेशालय ने लेखाओं/समवर्ती लेखा–परीक्षा/कर निर्धारण, स्टॉक का मूल्यांकन और अन्य कार्यों के क्षेत्रों में व्यवसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लागत लेखाकारों को शामिल करने के लिए विभिन्न संगठनों को 800 से भी अधिक अभ्यावेदन भेजे हैं। व्यवसायिक सेवाओं के लिए सीएमए पर विचार करने वाले संगठनों की पूरी सूची व्यावसायिक विकास निदेशालय के पोर्टल पर उपलब्ध है और इस सूची का नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

विशेष उपलब्धियां : इस संबंध में व्यावसायिक विकास निदेशालय की कुछेक विशेष उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

(1) महाराष्ट्र में सहकारी चीनी फैक्टरियों में लागत लेखा–परीक्षकों का चयन करना और उनका पैनल बनाना। चीनी आयुक्त, महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में चीनी फैक्टरियों में लागत लेखा–परीक्षा करने के लिए लागत लेखाकारों/लागत लेखाकारों की फर्मों का पैनल बनाने के लिए हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी की है।

(2) हमारे अभ्यावेदनों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुद्धि पत्र जारी किया है और कर सलाहकार के लिए निविदा नोटिस में लागत लेखाकारों को शामिल किया है।

(3) भारतीय बैंक संघ ने बैंकिंग उद्योग में 50 करोड रूपए तक और 50 करोड रूपए से अधिक की धोखाधडी के मामलों की फोरेंसिक जांच करने से संबंधित कार्य करने के लिए अपने पैनल में लागत लेखाकारों को शामिल किया है।

(4) लागत लेखाकारों को महाराष्ट्र सहकारी समितियां (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में सहकारी समितियों की वित्तीय लेखा–परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(5) सेबी ने ''मूल्यकर्ता'' की परिभाषा में लागत लेखाकार को मान्यता दी है तथा सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (रिअल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियमन, 2014 और सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियमन, 2014 में संशोधन किया है।

(6) राष्ट्रीय सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ने पंजीकृत ई–इंटरमिडियरीज के लिए व्यवसायिक लागत लेखाकारों को शामिल करने के लिए अपनी बेवसाईट को अद्यतन बनाया है।

❖ **वित्त मंत्रालय में प्रतिनिधित्व**

❖ **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीआई) में प्रतिनिधित्व**

❖ **शहरी विकास मंत्रालय में प्रतिनिधित्व**

❖ **व्यावसाय के कार्य क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों के साथ बैठकें करना**

❖ **समसामयिक विषयों पर संगोष्ठियां :**

- ✓ 13 सितंबर, 2016 को बीकानेर में भारत में निर्माण करने के पहल प्रयास में तेजी लाने के लिए सीएमए की भूमिका विषयकं संगोष्ठी।
- ✓ 29 मई, 2017 को बीकानेर में एनआईआरसी और बीकानेर–झुनझुनु चैप्टर के साथ सहयोग करने में जीएसटी विषयक संगोष्ठी।
- ✓ 19 जनवरी, 2017 को पुणे में चीनी उदयोग तकनीकी और लागत प्राचल विषयक संगोष्ठी।
- ✓ 23 मार्च, 2017 को दिल्ली में राष्ट्रीय सुस्थिर इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिवेशन।
- ✓ 14 अप्रैल, 2017 को थाणे में सहकारी लेखा परीक्षा पर संगोष्ठी।

❖ **मार्गनिर्देशन संबंधी टिप्पणियां :**

- ✓ वाणिज्यिक बैंकों के समवर्ती लेखा परीक्षा पर मार्गनिर्देशन संबंधी टिप्पणी।
- ✓ वाणिज्यिक बैंकों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर मोनोग्राफ।
- ✓ वाणिज्यिक बैंकों के कोषीय कार्यों कीआंतरिक लेखा परीक्षा पर मोनोग्राफ।

❖ **मंत्रालयों/विनियामकों द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियमों/विनियमों पर टिप्पणियां/सुझाव :**

- ✓ सेंबी को सुझाव।
- ✓ हित की अभिव्यक्ति –उर्वरक विभाग
- ✓ विदेशी मुद्रा प्रबंधन(क्रोस बोर्डर मर्जर) विनियमन, 2017–मसौदा विनियमन पर टिप्पणियां/सुझाव।
- ✓ रिअल इस्टेट कारोबार पर मसौदा आय परिकलन और प्रकटन मानक (आईसीडीएस) पर टिप्पणियां/सुझाव।
- ✓ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार की संशोधित कर दाता सेवाओं पर फीडबैक।
- ✓ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी)।

❖ **सदस्यों के साथ संबंध**

8. विधि विभाग

संस्थान का विधिक विभाग संस्थान के विभिन्न निदेशालयों और विभागों की विधिक सहायता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2016–2017 के दौरान विभाग के प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :–

- वकीलों के साथ संपर्क/समन्वयन करना ।
- समग्र भारत आधार पर वकीलों की सूची तैयार करना ।
- समझौता ज्ञापन और विभिन्न करारों के मसौदों को तैयार करना।
- संपत्ति से संबंधित मामलों में चैप्टरों और अन्य विभागों के साथ समन्वयन करना।
- निविदा की निबंधन एवं शर्तों की पुनरीक्षा करना।
- विवाद की स्थिति में भेजे जाने वाले उत्तरों के प्रारूप को तैयार करना/पुनरीक्षा करना।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य प्राधिकारियों के साथ संपर्क/बातचीत करने के लिए संबंधित प्राधिकारी की मदद करना।
- आरटीआई मामले।

9. मानव संसाधन विकास

किसी भी संगठन के मानव संसाधन विकास की सफलता की कहानी उसके मानव संसाधनों की जानकारी और कौशल का निरंतर विकास करने और उसको बनाए रखने तथा उसको संप्रेरित करने में उसके सामर्थ्य पर निर्भर करती है। इसलिए इस वर्ष भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अधिक सुगम ओर आधुनिक प्रोद्योगिकियों से सुसज्जित कुशल कार्यबल विकसित करने की थी। क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों सहित समूचे संस्थान के कर्मचारियों की क्षमताओं को लक्षित कौशल आधारित कार्यक्रम से सुदृढ बनाया गया है, जो कि मुख्यतया संचारण और व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने पर संकेन्द्रित होंगी।

इसके अतिरिक्त मानव संसाधन पहल प्रयासों का उददेश्य उसके आंतरिक उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करना और उनको समय पर परामर्श देना था। निदेशालयों की आवश्यक्ताओं को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए विभिन्न निदेशालायों में संगठन की क्षमता की पुनरीक्षा और अपेक्षित क्षमता की तुलना में बेशी की पहचान करके स्टाफ की क्षमता और उपलब्धता का निर्धारण करने के लिए किए गए पहल प्रयासों से यथाशीघ्र वांछित परिणाम प्राप्त होने की आशा है। कर्मचारियों को नियुक्त करने और कर्मचारी के साथ संपर्क स्थापित करने के संबंध में अनेक पहल प्रयास किए गए हैं।

10. अनुसंधान और जर्नल निदेशालय

- ✓ यूजीसी प्रायोजित राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां।
- ✓ संस्थान द्वारा **"लेखांकन और वित्त में उभरते मुददों"** के विषय पर आधारित विद्यासागर विश्वविद्यालय के कृषि प्रबंधन के साथ वाणिज्यिक विभाग के सहयोग से यूजीसी प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन सहित अनुसंधान क्रियाप्रणाली कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- ✓ **"लागत प्रतिस्पर्धा और आर्थिक उन्नति", "जीएसटी और स्टार्टअप्सः इंडिया इन मेकिंग" विषय पर** राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।

- ✓ सोसियो, जर्मनी, चाईल्डहुड जर्मनी के भारत–जर्मन सहयोग से **"सामाजिक प्राथमिकता वार्तालाप सम्मेलन"** का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया।
- ✓ संस्थान के सहयोग से अनुसंधान और प्रकाशन प्रकोष्ठ, स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग, भवानीपुर एजूकेशन सोसाईटी कालेज, कोलकाता द्वारा **"लेखांकन, वित्त और करनिर्धारण में उभरते मुद्दो"** पर स्वर्ण जयंती स्मारक अधिवेशन का आयोजन किया गया।
- ✓ संस्थान ने राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उद्यमिता का सृजन करके स्व–रोजगार सृजित करने के लिए उद्यमिता और कौशल विकास को बढावा देने के लिए चुनिन्दा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए **"राष्ट्रीय कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएसईडीपी)"** शुरू करने का एक उत्कृष्ट पहल प्रयास किया।
- ✓ विपिन चन्द्र पोल सेमिनार हॉल, असम विश्वविद्यालय, सिल्चर में **"प्रबंधन और वाणिज्य शिक्षा और उससे आगे –व्यवसायिक शिखर"** विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन–सह–जीवनवृति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- ✓ संस्थान ने पूर्वी रेलवे के लेखा विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 6 से 9 मार्च, 2017 को जे.एन. बोस ऑडिटोरियम, कोलकाता में **"वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विषयक कार्यशाला"** का आयोजन किया।
- ✓ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) और संस्थान ने प्रतिस्पर्धी समर्थन रणनीति विकसित करने के लिए एक पथ प्रदर्शक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहली बार कोलकाता में एक **"संकेन्द्रित सामूहिक विचार–विमर्श (एफजीडी)"** संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- ✓ **"भारतीय रेल – परिवर्तित मौसम में गति से प्रगति"** नामक चौथे पीएचडी वैश्विक रेल अधिवेशन का आयोजन 26 अप्रैल, 2017 को पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में किया गया।
- ✓ संस्थान ने पूर्वी रेलवे के लिए 2 से 5 मई, 2017 को कोलकाता में **'वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विषयक कार्यशाला"** का आयोजन किया।
- ✓ **'वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के प्रभाव का विश्लेषण"** विषयक परिचर्चा का आयोजन 6 मई, 2017 को ईआईआरसी के ऑडोटोरियम में किया गया।
- ✓ **"इंडियन बैंकिंग सिस्टम एट दि क्रोसरोड ऑफ रिफोरमेशन"** शीर्षक 9वें आईसीसी बैंकिंग सम्मेलन, 2017 के प्रारंभिक सत्र का आयोजन 19 मई, 2017 को किया गया।
- ✓ **"गुड गवर्नेस थ्रू गीता एंड एन्सिएंट स्क्रिपचर्स"** विषयक प्रेरणा सत्र का आयोजन 25 मई, 2017 को ईआईआरसी के ऑडोटोरियम में किया गया।
- ✓ संस्थान ने दक्षिणी पूवी रेलवे के अधिकारियों के लिए **'वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विषयक कार्यशाला"** का आयोजन किया।
- ✓ त्रैमासिक **"अनुसंधान बुलेटिन"** और मासिक **"दि मेनेजमेंट एकाउंटेंट"** पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन किया गया।
- ✓ बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, आईआरडीए, सेबी, बीमा कंपनियों के अध्यक्षों के साथ–साथ विभिन्न अन्य औद्योगिक अध्यक्षों को प्रेषित की जाने वाली पत्रिका की मानार्थ प्रतियों के कारपोरेट डाटाबेस का समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। इससे हमें अपनी पत्रिकां की बाजार की स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिलती है।
- ✓ हमने अपनी पत्रिका की विषय वस्तु को समृद्ध बनाने के लिए गणवत्ता युक्त और संबद्ध लेखों को चुनने का कार्य शुरू कर दिया है।
- ✓ कंपनियों और उद्योगों से विज्ञापन प्राप्त करने के एक प्रयास के रूप में निदेशालय ने मेल, फोन कॉल्स और नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने का एक अभियान चलाया है। इस पहल प्रयास के भी अच्छे परिणाम निकले हैं।

11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंचों का उपयोग अपने रोजमर्रा के प्रचालनों का कारगर निष्पादन करने और समितियों द्वारा अपने सदस्यों और विद्यार्थियों तक पहुंच बनाए रखने और जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए किया जाता है। सूचना प्रोद्योगिकी विभाग ने आगे कदम बढाए हैं और अब वह इन–हाउस जनशक्ति का उपयोग कर रहा है ताकि अनुप्रयोग को बनाया रखा जा सके और उसे विकसित किया जा सके। यह न केवल प्रचालनों की लागत को कम करने में बल्कि आत्म–निर्भरता प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस वर्ष किए गए कुछेक पहल प्रयास निम्नानुसार हैं:–

- ✓ मानव संसाधन विभाग को कर्मचारियों के डाटाबेस, उपस्थिति, अवकाश, बाहरी दौरों आदि के प्रबंधन करने में सहायता देने के लिए एक ऑन लाईन मानव संसाधन सूचना प्रणाली विकसित की गई है।
- ✓ इसने पाठ्यक्रम 2016 को शुरू करने के समय आवेदन–पत्रों और विद्यार्थियों की बेवसाईट को अद्यतन बनाने में अध्ययन विभाग को सहायता प्रदान की है।
- ✓ इसने ऑनलाईन दाखिले के साथ–साथ आरसी और चैप्टरों द्वारा दाखिले के लिए विद्यार्थी पंजीकरण प्रणाली में किस्त सुविधा को क्रियान्वित किया है।
- ✓ इसने कंपनियों को अपनी आवश्यकताओं का उल्लेख करने और ऑनलाईन पर अभ्यर्थियों को चुनने की अनुमति देने के लिए बेवासाईट पर नियुक्ति अनुभाग में एक मॉड्यूल जोडा है।
- ✓ इसने पंजीकरण के लिए कार्यक्रम बेवसाईट और ऑनलाईन फार्म विकसित किए हैं जिसे संस्थान के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए पेमेंट गेटबे के साथ एकीकृत किया गया है।
- ✓ इसने बेवीनार्स विकसित करने के लिए विभिन्न समितियों और विभागों को सहायता दी है। इस वर्ष लगभग 60 अदद बेवीनार्स संचालित किए गए हैं।
- ✓ इसने संस्थान की बेवसाईट पर नॉलिज बैंक में बेवीनार संग्राहलय रिकार्डिंग्स वर्गीकृत की है और उसे उपलब्ध कराया है।
- ✓ इसने ऑनलाईन पोर्टल का डिजायन तैयार किया है और उसे विकसित किया है ताकि विद्यार्थी ऑनलाईन पर पुस्तकें खरीदने में सक्षम हो सकें।
- ✓ इसने आईसीएआई की आईपीए को डोमेन के पंजीकरण करने और अपनी बेवसाईट विकसित और शुरू करने में सहायता दी है।

- ✓ इसने आईसीडब्ल्यूएआई एमएआरएफ को ऑन लाईन फार्मों को विकसित करने/विभिन्न परियोजनाओं का सर्वेक्षण करने और डाटाबेस को मिलाने में सहायता दी है।
- ✓ इसने समाजिक मीडिया मंचों, व्यापक मेल और व्यापक एसएमस द्वारा विभागों और समितियों को न्यूजलेटर भेजने, सदस्यों और विद्यार्थियों को उनके हित की सूचना संप्रेषित करने में सहायता दी है।
- ✓ इसने पेमेंट गेटबे (डेबिट/क्रेडिट कार्डस और नेट बैंकिंग) के एकीकरण के साथ ''मॉडल जीएसटी लॉ इन इंडिया – ट्रेन दि ट्रेनर्स'' के लिए ऑनलाईन फार्म पंजीकरण फार्म विकसित किया है।
- ✓ इसने संस्थान के सदस्यों और विद्यार्थियों के ई–मेल द्वारा जन्म दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए बेव आधारित अनुप्रयोग विकसित किया है।
- ✓ इसने राष्ट्रीय सुस्थिर इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिवेशन 2017 के लिए ऑनलाईन पंजीकरण फार्म प्रणाली विकसित की है।

12. सतत पेशेवर विकास और लागत प्रबंधन लेखांकन समिति

किए गए विभिन्न पहल–प्रयास निम्नानुसार हैः–

- ✓ सीईपी के तहत संस्थान के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु दिशा–निर्देश
- ✓ संस्थान के सभी सदस्यों के लिए सीईटी अध्ययन केंद्रों के लिए दिशा–निर्देश
- ✓ क्षमता निर्माण – कार्यक्रम/वेबिनारों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल का निर्माण
- ✓ सतत शिक्षा कार्यक्रम
- ✓ वेबिनार
- ✓ संयुक्त कार्यक्रम
- ✓ अध्ययन सर्किल

13. लेखांकन तकनीशियन में प्रमाण–पत्र (कैट)

संस्थान ने लेखांकन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में युवाओं के बीच कौशल का विकास करने में ठोस और नवीनतम कदम उठाए हैं। उद्योग के लिए तैयार उम्मीदवार प्रदान करने के लिए संस्थान ने वर्ष 2008 में एक अल्पकालिक रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम – लेखांकन तकनीशियन में प्रमाणपत्र (कैट) शुरू किया है। संस्थान ने उद्योग से सुप्रशिक्षित प्रवेश स्तर पर लेखांकन व्यावसायिकों के लिए अत्यधिक मांग का मूल्यांकन करने के बाद इस पाठ्यक्रम को विकसित किया है। यह पाठ्यक्रम को इस तरीके से विकसित किया गया है जिससे कि इस देश में युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के कौशल में सुसज्जित किया जा सके। उदाहरण के लिए हमारे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में जीएसटी को शामिल किया गया है और इससे बाजार की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। जबकि इस पाठ्यक्रम को देश भर के लगभग 400 केन्द्रों में शुरू किया गया है, केरल, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने अपने राज्यों में रोजगार प्राप्त करने योग्य युवाओं के कौशल का संवर्धन करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस संस्थान को लेखांकन तकनीशियनों के पाठ्यक्रम में अपना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए चुना है। इसके अतिरिक्त संस्थान दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं के लिए एक परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में भी पंजीकृत है। इसके साथ ही संस्थान संपूर्ण वर्ष के दौरान कैट छात्रों के लिए केम्पस नियुक्ति कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहा है।

14. प्रशिक्षण और नियुक्ति विभाग

व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना, जिसके तहत छात्रों को अंतिम परीक्षा में बैठने से पूर्व 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना अपेक्षित होता है, से छात्र अपनी अंतिम परीक्षा पूरी करते समय उद्योग के लिए तैयार बनने में समर्थ हो गए हैं।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण से छूट/प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण किए गए विद्यार्थियों की प्रगति इस प्रकार हैः

- ✓ प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किए गए विद्यार्थियों की संख्या – 1670
- ✓ प्रशिक्षण से छूट प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या – 1406

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विगत वर्ष के दौरान 29 नई कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे अब तक इनकी कुल संख्या 700 हो गई है। सभी पैनलबद्ध कंपनियां छात्रों के लिए आसानी से शहर का चयन करने के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छात्रों के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही में अर्हता प्राप्त इंटरमीडिएट छात्रों को डाटाबेस से लाभान्वित हुए हैं।

अंतिम रूप से योग्यता प्राप्त छात्रों की केम्पस नियुक्ति करना संस्थान का एक सतत क्रियाकलाप है, जो कि प्रत्येक वर्ष में दो बार योग्यता प्राप्त छात्रों को नियुक्ति में सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है। वर्ष 2016–17 में अनेक नई कंपनियों ने सीएमए के पूल में से अपने भावी प्रबंधकों की तलाश करने के लिए केम्पस के क्षेत्र में प्रवेश करके लाभ उठाया है। अपने अंतिम परिणाम के बाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 1180 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। यह कार्यक्रम समस्त भारत में 9 स्थानों पर आयाजित किया गया था। लगभग 3000 कंपनियों ने हमारे केम्पस से अपने भावी प्रबंधकों को प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क स्थापित किया था। बीईएल, जीएआईएल, एलएंडटी, टाटा मोटर्स, नेशल, विपरो, वेदान्ता, एनएलसी, सेट गोवेन, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, गोदरेज जैसे कारपोरेट दिग्गजों और बोयसे, उज्जीवन फाईनांसियल और अनेक अन्य कंपनियों ने इस केम्पस का दौरा किया था। अंतिम परीक्षा में उतीर्ण जिन विद्यार्थियों ने नियुक्ति के लिए विकल्प दिया है, वे इस पहल प्रयास से नियुक्ति प्राप्त करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं।

15. सदस्यता विभाग

सदस्यता – एक डिजिटलाईजेशन की दिशा में एक कदम

सदस्य सेवाएं और सेवा समिति के मार्गनिर्देशन में सदस्यता विभाग ने सदस्यों और नए आवेदकों को अच्छी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए प्रयास किया है। संस्थान की वेबसाइट पर सदस्यों की ऑनलाइन सेवा को अत्याधुनिक ऑनलाइन अनुभव प्रदान करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। इसकी कुछेक विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- ✓ सदस्यों द्वारा ऑनलाइन भुगतान करने से सुविधा प्रभारों/बैंक प्रभारों में छूट दी जाती है।

✓ सदस्यों के लिए ई–मेल सुविधा के साथ–साथ अन्य समान सुविधा शुरू की गई है।

ऑनलाइन सुविधा https://cmaicmai-in पर उपलब्ध है।

❖ **दाखिल किए गए सदस्य :**

वर्ष	एसोसिएट	फेलो
2012 – 2013	1745	378
2013 – 2014	1906	366
2014 – 2015	2191	362
2015 – 2016	2039	382
2016 – 2017	1684	344

❖ **संस्थान के सदस्यों के लिए हितकारी निधि (एमबीएफ):** विगत दो वर्षों के दौरान एमबीएफ की सदस्य संख्या प्रत्येक चार क्षेत्रों में बडी ।

16. आंतरिक नियंत्रण विभाग

(1) विभाग ने मुख्यालय, दिल्ली कार्यालय, दो क्षेत्रीय परिषदों और 25 लाख रूपए के अधिक कारोबार करने वाले छः चैप्टरों के आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ ही सांविधिक लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति के लिए हित की अभिव्यक्ति और लेखा परीक्षा का कार्य–क्षेत्र तैयार किया है।

(2) वित्तीय वर्ष 2016–17 के दोनों अर्ध–भागों के लिए प्रबंधन के उत्तर सहित क्षेत्रों और चैप्टरों की लेखा–परीक्षा रिपोर्टों का संकलन।

(3) दिनांक 18 दिसंबर, 2014 के निविदा दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा दस्तावेज का विश्लेषण।

(4) विभिन्न विभागों से उत्सर्जित होने वाले खरीद के विभिन्न प्रस्तावों की जांच, संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की जांच और ब्रांड विशिष्ट/प्रोपराइटरीज मदों का निर्धारण और डीओपी का क्रियान्वयन सुनिश्चत करना।

17. अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग

❖ **शामिल क्रियाकलाप:**

✓ एसएएफए आयोजन
✓ सीएपीए आयोजन
✓ जीसीसी सीएमए समिट
✓ एसीसीए
✓ आईएफएसी
✓ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इत्यादि।

❖ **आईसीएमए बांगलादेश में कार्यशाला**

❖ **संयुक्त कार्यक्रम आईओडी –एसीसीसीए एंड आईसीएआई:**

❖ **सीआईपीएफए के साथ समझौता ज्ञापन:**

❖ **अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (आईएसडीसी)**

18. अनुशासनिक निदेशालय

1. लागत एवं कार्य (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21 क के तहत अनुशासन बोर्ड

लागत एवं कार्य लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21 क के तहत संस्थान की परिषद द्वारा अनुशासन बोर्ड का गठन किया गया है। धारा 21 क में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि परिषद एवं अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें कानून में विशेषज्ञता वाला एक सदस्य तथा अनुशासनिक मामलों और व्यवसाय का ज्ञान रखने वाला इसका अध्यक्ष, तथा ऐसे दो सदस्य शामिल होंगे जिनमें से एक परिषद का सदस्य होगा और दूसरा सदस्य लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 16 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के तहत नामित एक व्यक्ति होगा।

अनुशासन बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 18 मई, 2017को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता इस संस्थान के पूर्व अध्यक्ष सीएमए जे. के. पुरी द्वारा की गई थी। तथापि, उक्त बैठक को आस्थगित कर दिया गया था और आस्थगित बैठक का आयोजन 30 जून, 2017 को किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुशासन बोर्ड ने 06 (छः) शिकायतों का निपटान किया था।

2. लागत एवं निर्माण (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के तहत अनुशासनिक समिति

संस्थान की परिषद द्वारा लागत एवं निर्माण लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के तहत अनुशासनिक समिति का गठन किया गया है। धारा 21 ख में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि परिषद एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें परिषद के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जाएगा और दो सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे, जो कि कानून, अर्थशास्त्र, कारोबार, वित्त अथवा लेखाकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अर्थात दिनांक 22 जुलाई, 2015 से अब तक की अवधि के दौरान अनुशासनिक समिति ने छः बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों का आयोजन 23 दिसंबर, 2016, 18 जनवरी, 2017, 3 मार्च, 2017, 7 अप्रैल, 2017, 5 मई, 2017 और 27 जून, 2017 को किया गया था । इन बैठकों में लागत एवं कार्य लेखाकार (व्यावसायिक एवं अन्य दुराचरण और आचार व्यवहार की जांच की प्रक्रिया) नियामवली, 2007 के प्रावधानों के तहत अनेक शिकायतों और सूचनाओं पर विचार किया गया और उन पर कार्रवाई की गई। इन मामलों का निपटान करने में अनुशासनिक समिति ने समानता के सिद्धांत तथा प्राकृतिक न्याय का अनुसरण किया और शिकायतकर्ताओं/प्रतिवादियों को मौखिक अनुरोध करने, यदि कोई हो, के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्षकारों को

सुनवाई का अवसर प्रदान किया। अनुशासनिक समिति ने अब तक 07 (सात) शिकायतों और 8 (आठ) सूचनाओं का निपटान किया है।

19. उन्नत अध्ययन निदेशालय

संस्थान द्वारा उन्नत अध्ययन निदेशालय का गठन किया गया है ताकि वित्त और अन्य संबद्ध क्षेत्रों सहित विभिन्न लागत और प्रबंधन लेखाकरण विषयों पर उन्नत ज्ञान और विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

निदेशालय हैदराबाद में स्थित है और संस्थान के सदस्यों को उन्नत पाठ्यक्रमों की तलाश, विकास तथा सुपुर्दगी प्रदान करता है तथा लागत और प्रबंधन लेखाकरण, वित्त और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के डोमेन के तहत आने वाले क्षेत्रों में विशिष्ट प्रमाण–पत्र/अर्हता उपरांत पाठ्यक्रमों को तैयार और प्रारंभ करके क्षमता निर्माण के लिए प्रयासरत है।

उन्नत अध्ययन निदेशालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम का दूसरा बैच शुरू किया है:

1. कारोबार मूल्यांकन में डिप्लोमा
2. आंतरिक लेखा परीक्षा में डिप्लोमा
3. सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और नियंत्रण में डिप्लोमा।

निदेशालय ने प्रबंधन लेखाकरण परीक्षा भी आयोजित करता है, जो कि वार्षिक है और यह केवल दिसंबर माह में आयोजित की जाती है।

यह निदेशालय अब समसामयिक हित के क्षेत्रों में सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए अल्प आवधिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए तौर–तरीकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उन्नत अध्ययन निदेशालय उन्नत अध्ययन बोर्ड (बीओएएस) के योग्य मार्गनिर्देशन, निर्देशन और पर्यवेक्षण में संचालन कर रहा है।

20. क्षेत्रीय परिषद और चैप्टर्स समन्वयन समिति

क्षेत्रीय परिषद और चैप्टर्स समन्वयन समिति में सात सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्य समन्वय बढाना तथा मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषद और चैप्टरों के बीच व्याप्त अंतर को दूर करने के लिए अंतर–संपर्क स्थापित करना है।

इस समिति को सौंपे गए कार्य निम्नानुसार हैं:–

- मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषद और चैप्टरों के बीच व्याप्त अंतर को दूर करना।
- प्रचालनात्मक क्षमताओं में सुधार लाना।
- क्षेत्रीय परिषद और चैप्टरों को संस्थान के नियमों और विनियमों का अनुपालन करन के प्रति प्रोत्साहित करना।
- मुद्दों की सक्रियता से पहचान करना और पारस्परिक चिंताओं के मुद्दों और परस्पर विरोधी मुद्दों का निपटान करने में संयुक्त रूप से कार्रवाई को सुकर बनाना।

इस समिति ने वर्ष 2016–17 के दौरान 3 आंतरिक बैठकें, 4 क्षेत्र–वार बैठकें और 1 राष्ट्रीय बैठक आयोजित की हैं और उनमें विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर परिचर्चा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इन बैठकों में 230 (दो सौ तीस) से भी अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित की गई क्षेत्रीय परिषद और चैप्टरों की समन्वय समिति की चार बैठकों की कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सभी क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों को परिचालित की गई है।

21. कर–निर्धारण अनुसंधान समिति

कर–निर्धारण अनुसंधान समिति का गठन जुलाई, 2016 में किया गया था। तथापि, वर्ष 2016–17 के लिए समिति के गठन के संबंध में पर्याप्त विवाद थे। कर–निर्धारण समिति अपने क्रियाकलापों का क्रियान्वयन, संस्थान के कर अनुसंधान विभाग (टीआरडी) के माध्यम से करता है।

इसके प्रमुख उददेश्य निम्नानुसार हैं:–

1. उत्तम प्रबंधन लेखांकन पद्धतियों के लिए मार्गनिर्देशी नोट तैयार करना और कर के विभिन्न मामलों का विश्लेषण करना।
2. कर–निर्धारण के क्षेत्र में संस्थान के सदस्यों को व्यावसायिक विकास करने के लिए विभागीय कार्य।
3. व्यवसाय से संबद्ध मामलों के अनुसार विभिन्न कर–निर्धारण से संबंधित मामलों पर बेवीनार्स, संगोष्ठियों और अधिवेशनों आदि का संचालन करना।
4. देश में आर्थिक संवृद्धि को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय को सुझाव देना।
5. कर–अर्थव्यवस्था का प्रभावी मूल्य संवर्धन करने के लिए सीएमए के लिए अवसरों का मूल्यांकन करना।

कर अनुसंधान विभाग द्वारा किए गए और कर–निर्धारण समिति को प्रस्तुत किए गए कुछेक प्रमुख क्रियाक्लाप निम्नानुसार हैं:–

(क) तकनीकी कागजात बनाए गए।

(ख) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए बनाए गए और उसे प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन।

(ग) राजस्व अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

(घ) सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए अखिल भारतीय संपर्क स्थापित करना।

(ड.) व्यापार और उद्योग संघों के सहयोग से संगोष्ठियों का आयोजन करना।

समिति ने शीर्षस्थ कार्यक्रम ''ट्रेन दि ट्रेनर'' के अंतर्गत प्रशिक्षक को विकसित करने का एक विलक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समिति ने सदस्यों के लिए संपूर्ण भारत में सत्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस शीर्षस्थ कार्यक्रम से समिति ने समस्त भारत में 350 से भी अधिक सदस्यों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।

22. कौशल और उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ

भारत में कौशल और उद्यमिता के विकास को बढावा और प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सहायक क्रियाकलाप शुरू करने में सक्षम बनने के लिए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत निकाय है, के साथ दिनांक 10 फरवरी, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्थान मार्च, 2017 से पश्चिम बंगाल में तीन महाविद्यालयों नामतः *महादेवानन्दा, बैरकपुर, चकादाहा कालेज और रामनगर कालेज, पुरबा मेदनीपुर* के साथ राष्ट्रीय कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएसईडीपी) क्रियान्वित कर रहा है। हिन्दुस्तान एयरोनोटिकल लिमिटेड, हेलीकोप्टर डिवीजन, बैरकपुर द्वारा अपने सीएसआर द्वारा अपने क्रियाकलापों द्वारा इस पहल प्रयास का समर्थन किया जा रहा है। अखिल भारतीय आधार पर एनएसईडीपी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के

लिए सीएसआर मार्ग के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रस्ताव भी दामादर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) को प्रेषित किया गया था। संस्थान के सहयोग से पश्चिम बंगाल में फैले विभिन्न महाविद्यालयों में एनएसईडीपी संगोष्ठियों को आयोजन किया गया है।

23. जीवनवृति परामर्श प्रकोष्ठ

ठोस जानकारी प्राप्त करने और लागत और प्रबंधल लेखाकरण में व्यावसायिक जीवनवृति के लिए प्रयास करने में सक्षम होने के लिए अखिल भारत स्तर पर विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से जीवनवति परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है।

जीवनवृति परामर्श कार्यक्रम : इसके संक्षिप्त ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

- ✓ वर्ष 2016—17 के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या — 875 (लगभग)
- ✓ क्षेत्रीय परिषदों के आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या — 115 (लगभग)
- ✓ चेप्टरों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या — 460 (लगभग)
- ✓ जीवनवृति परामर्श मास — नवंबर, 2016 मास के दौरान 500 से भी अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

24. अध्यक्ष का कार्यालय

दिल्ली और कोलकाता में स्थित अध्यक्ष का कार्यालय, संस्थान के अध्यक्ष की ओर से संस्थान के विभागों और बाहरी एजेंसियों के साथ विभिन्न कियाकलापों में समन्वय कार्यों में सहायता प्रदान करता है। हालांकि यह इन कियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है, लेकिन सन्वयन कार्यों को सुगम बनाने के लिए अध्यक्ष के कार्यालय ने अपत्यक्ष रूप से अनेक कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त इस विभाग ने परिषद के सदस्यों, संस्थान के विगत अध्यक्षों और उच्च अधिकारियों द्वारा उसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों और कियाकलापों को कियान्वित किया है। उसके द्वारा किए गए कुछेक प्रमुख कियाकलाप निम्नानुसार हैं:—

- ✓ आईईसी बैठकों के लिए समन्वयन।
- ✓ विश्व सम्मेलन 2016।
- ✓ संस्थान द्वारा जीएसटी दिवस समारोह पर पुस्तिका का संकलन।
- ✓ नोटबंदी विषय पर संस्थान के पहल प्रयास पर पुस्तिका का संकलन।
- ✓ मंत्रालयों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ पत्राचार।
- ✓ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तकनीकी सहायता।
- ✓ संस्थान के सभी प्रमुख कार्यक्रमों को सहायता।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों जिनमें संस्थान की परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना, जिसमें संस्थान की परिषद द्वारा हमें लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किए जाने पर हमारे द्वारा लेखा परीक्षित, मुख्यालय के लेखाओं में 162.19 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्ति तथा 51.18 करोड़ रूपए (अंतरक्षेत्रीय/चैप्टर लेन देनों का निबल) का कुल राजस्व समाविष्ट है। 4 क्षेत्रीय परिषदों नामतः एनआईआरसी, ईआईआरसी, डब्ल्यूआईआरसी और एसआईआरसी के लेखा—परीक्षित लेखाओं में 37.04 करोड रूपए की कुल परिसम्पतियां (और 2.95 करोड रूपए का कुल राजस्व) परिलक्षित होती हैं, जिनकी लेखा—परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। इनमें उनको भी शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त इनमें 92 चैप्टरों के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं, जिनमें 3 चैप्टरों के लेखा शामिल हैं जिन पर संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस प्रकार इनमें 89.90 करोड रूपए (92 चैप्टरों) की कुल परिसंपतियां और 19.48 करोड रूपए का राजस्व (प्रतिपूर्ति सहित) (92 चैप्टरों) होने का पता चलता है, जिनकी लेखा—परीक्षा, आईसीडब्ल्यूए विनियमन 1959 के विनियम 133 और संस्थान के चैप्टन के उप—नियम के अनुच्छेद 26 के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के अधिशासी निकायों द्वारा नियुक्त किए गए लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें संस्थान के प्रबंधन द्वारा हमें प्रेषित की गई हैं। ऐसे 3 चैप्टरों में जिनके विवरणों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, 0.18 करोड रूपए की कुल परिसंपतियां और 0.08 करोड रूपए का राजस्व होने का पता चलता है।

समेकित वित्तीय विवरणों में 9 चैप्टरों के लेखा—परीक्षित लेखा शामिल नहीं हैं, जिनके लिए लेखा—परीक्षित लेखा प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में अद्यतन लेखा—परीक्षित लेखाओं में तुलन पत्र के आंकडों को शामिल किया गया है, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

क्रमांक	चैप्टर का नाम	वित्तीय वर्ष 2016—17 में समेकन प्रस्ताव के लिए शामिल लेखा—परीक्षित लेखाओं की सूची
1.	जबलपुर	वर्ष 2015—16
2.	जयपुर—किओन्झार	वर्ष 2015—16
3.	तलचर—अंगुल	वर्ष 2015—16
4.	भद्रावती शिमोगा	वर्ष 2015—16
5.	पाण्डिचेरी	वर्ष 2015—16
6.	आगरा—मथुरा	वर्ष 2015—16
7.	गाजियाबाद	वर्ष 2013—14
8.	नया नंगल	वर्ष 2015—16
9.	नोएडा	वर्ष 2015—16

संस्थान की वर्ष 2016–17 के समेकित वित्तीय विवरणों में 80 लेखा–परीक्षिति चैप्टरों को शामिल किया गया है, जिनमें से 20 चैप्टरों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंटो और 60 चैप्टरों की लेखा परीक्षा लागत एकाउंटेंटो द्वारा की गई है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

संस्थान का प्रबंधन भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेवार है, जो कि संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन और नकदी लेन–देन की सही और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेवारी में संस्थान की परिसंपतियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड्स का रख–रखाव करना और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाना और उसकी रोकथाम करना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करना, ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और तथा विवेकपूर्ण हैं तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजायन बनाना, क्रियान्वयन और अनुरक्षण करना, जो कि लेखांकन अभिलेखों की परिशुद्धता और संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से प्रचालित हो रहे हैं, ऐसे वित्तीय विवरण, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वास्तविक गलत बयानी से मुक्त हैं, को तैयार करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना और रखरखाव करना भी शामिल हैं।

3. लेखा परीक्षक की जिम्मेवारी

3.1 हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है । हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत बयानी से मुक्त हैं, नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और लेखा परीक्षा की योजना बनाकर उसे संपन्न करते हैं।

3.2 किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में वास्तविक गलत बयानी के जोखिम के निर्धारण सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं । इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि उन परिस्थितियों में उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें । किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों के औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह उपर्युक्त पैरा 1 में व्यक्त किए गए हमारे अभिमतों और निम्नलिखित पैरा 4 और 7 में दिए गए अभिमतों के साथ पठित हमारी लेखा योग्य परीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

4. योग्य मत का आधार

4.1 7 चैप्टरों और 1 क्षेत्रीय परिषद से संबंधित 57.73 लाख रूपए मूल्य के फ्रीहोल्ड तथा पट्टे वाली भूमि और भवनों के संबंध में कोई हस्तांतरण विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। 10 चेप्टरों और 3 क्षेत्रीय परिषद से संबंधित 107.99 लाख रूपए मूल्य के मूल हस्तांतरण विलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । 183.40 लाख रूपए मूल्य की 15 संपत्तियों के विलेख कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1959 के विनियम 85 (1) (ई) एवं 99 (एफ) के उल्लंघन में अभी भी चेप्टरों के नाम पर हैं जिसमें 172.08 लाख रू0 मूल्य की 13 संपत्तियां शामिल हैं, (जिनके लिए मूल हस्तांतरण विलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं)।

4.2 इंदौर देवास चैप्टर से संबंधित भूमि और भवन का मूल पट्टा विलेख नई समिति के कब्जे में नहीं है क्योंकि यह अभी उन्हें सौंपे नहीं गए हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक मीटर भी चैप्टर के नाम पर नहीं है। इन्दौर नगर निगम (आईएमसी) ने परिसम्पति का अधिग्रहण करने से लेकर अभी तक संस्थान के नाम पर कोई परिसम्पति कर बिल नहीं जारी किया है।

4.3 वर्तमान लेखाओं और चैप्टरों के अंतर्गत दर्शाए गए 93.27 लाख रूपए की राशि पर क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों से कोई संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

4.4 पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) ने वर्ष 2014–15 से तुलन पत्र में 1,60,44,103.00 रुपए की पूंजी डब्ल्यू.आई.पी. दर्शाई है, हालांकि उक्त मदों का उपयोग पहले से ही वित्तीय वर्ष 2015–16 में होना बताया गया है। ऐसे संवर्धन के लिए मूल्यह्रास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे राजस्व व्यय की गलत बयानी और अचल परिसंपतियों बढा चढा कर उल्लिखित करने का पता चलता है, जिसकी मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है।

4.5 संस्थान ने भुगतान के आधार पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए देयता की जिम्मेदारी ली है। भुगतान के आधार पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लेखांकन के प्रभाव का इस स्थिति में सुगमता से पता नहीं लगाया जा सकता है और न ही उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है।

5. योग्य रायः

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन और ''योग्य मत का आधार पैरा'' के लिए पैरा 4 में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों के अध्यधीन और उनके सिवाय तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अनुसूची 16 में दी गई लेखाओं संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित निम्नांकित पैरा 7 में 21,000 रूपए तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का पंजीकरण नहीं कराने के संबंध में में दी गई हमारी टिप्पणियों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित पद्धति में अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और स्पष्ट छवि प्रस्तुत करते हैं:

(क) दिनांक 31 मार्च, 2017 को संस्थान के कार्यों की स्थिति के तुलन–पत्र के मामले में;

(ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे, आधिक्य के मामले में; और

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

6. **मामले का प्रतिबल**

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं जिनमें संस्थान के वित्तीय विवरणों से संबंधित अनिश्चितताओं का उल्लेख है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

6.1 **पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यूआईआरसी)**

6.1.1 ऐसे दावों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कि वर्तमान परिसम्पतियों की अनुसूची ''एफ'' में एफडीएपीएल से वसूल करने योग्य 21,58,741 रूपयों के दावों और वसूल करने योग्य 67,30,000 रूपए, दावों के अनिश्चय 2013—14 के 20,77,565 रूपए, दावों के अनिश्चय 2014—15 के 81,176 रूपए और 31.03.2015 से बकाया वर्तमान देयताओं की अनुसूची ''डी'' में अनिश्चय एफडीएपीएल 67,30,000 रूपए की राशि के दावों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कि अनिश्चितता का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं।

6.2 **पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी):**

6.2.1 ईआईआरसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हरीश मुखर्जी रोड शाखा, कोलकाता—700025 के साथ एक लीज करार किया था। यह लीज करार 31.02.2012 को समाप्त हो गया था और उसका नवीकरण नहीं किया गया था। लीज विलेख की समाप्ति के बाद से ईआईआरसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है।

6.2.2 वर्ष 2014—15 में संस्थान ने 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर विगत लेखापरीक्षक द्वारा की गई योग्यता की टिप्पणियों के संदर्भ में विशेष लेखा—परीक्षा करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म का नियुक्त किया था। परिषद द्वारा नियुक्त की गई एक क्रियान्वयन समिति द्वारा इस विशिष्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया गया था, जिसने यह उल्लेख किया था कि ईआईआरसी के कार्यालय से अनेक महत्वपूर्ण फाईलें और दस्तावेज गायब हो गए हैं और उसने उसकी उचित जांच करने के लिए पुलिस में एफआईआर दायर करने तथा गुम हुई फाईलों, दस्तावेजों और किन परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति को प्राप्त किए बिना और आवश्यक दस्तावेजों के बिना 51.34 लाख रूपयों का भुगतान किया गया था, के संबंध में ईआईआरसी और उसके तत्कालीन अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगने के साथ मामले में उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में विभिन्न सिफारिशें की गई हैं और और कार्रवाई करने के प्रस्ताव किए गए हैं और वे क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

6.3 **उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी)**

6.3.1 कार्यकारी समिति की दिनांक 6 अक्टूबर, 2015 को एनआईआरसी में हुई बैठके में लिए गए निर्णय के आधार पर और उसके बाद क्षेत्रीय परिषद की क्रमशः दिनांक 22.11.2015, 27.11.2015 और 25.05.2016 को हुई बैठकों में उस निर्णय की संपुष्टि हो जाने के बाद वर्ष 2014—15 के लिए 41.44 लाख रूपए मूल्य की धनराशि का एक डेब्ट नोट पूर्ववर्ती अध्यक्ष को भेजा गया था।

क्षेत्रीय परिषद ने दिनांक 31.05.2017 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 2014—15 के लिए राजस्व लेखा में दर्ज नहीं की गई 41.44 लाख रूपए मूल्य की धनराशि, प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर के ब्याज (जो कि 3.31 लाख रूपए बनता है) के साथ कुल 44.75 लाख रूपए की धनराशि पूर्ववर्ती अध्यक्ष से उसके वसूल किए जाने की तारीख से वसूल करने के लिए एक वाद दायर करने का निर्णय लिया था। यह वाद ऐसी वसूल करने योग्य राशि का दावा करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया था और इस पर अभी निर्णय लंबित है।

एनआईआरसी के लेखाओं में शामिल धनराशि में उक्त ऋण भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका से संबंधित मामला है, जिसका उल्लेख यहां पहले भी किया गया है। इसलिए यह समस्त मामला न्यायायिक निर्णय अधीन है।

6.4 संस्थान के मुख्यालय ने लेखापरीक्षा की कार्रवाई के दौरान विभिन्न नियंत्रण उपायों को सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन आंतरिक नियंत्रण में कई क्षेत्रों में कमियां पाई गईं हैं, जैसे अध्ययन निदेशालय के अनुमोदन के बिना चैप्टरों द्वारा पाठ्यक्रम चलाना, आरसी द्वारा चैप्टरों को ऋण देना, समिति के सदस्यों से अग्रिम लेना, अधिक नकदी शेष रखना, चैप्टरों द्वारा बजट प्रस्तुत नहीं करना, समिति के सदस्यों को ऋण देना, बजट से अधिक व्यय करना, समिति के सदस्यों को फैकल्टी पारिश्रमिक देना, म्युच्युअल फंड में धनराशि का निवेश करना, विभिन्न भुगतानों के लिए स्रोत पर कर की कटौती न करना, शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन करना तथा खरीद प्रक्रिया से जानबूझकर बचना इत्यादि। मुख्यालय और विभिन्न चैप्टरों की आंतरिक लेखा परीक्षा संस्थान की प्रकृति और आकार के अनुसार नहीं पाई गई। विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

7. **अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

संस्थान ने ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए जिनकी कुल आय 21,000 रूपए तक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ पंजीकरण नहीं कराया है।

उपरोक्त के अध्यधीन हम यह उल्लेख करते हैं कि :

(क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार कुछ छोटे चैप्टरों के मामले को छोड कर हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में कानून के अनुसार यथा अपेक्षित समुचित लेखा बहियां दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट है (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से क्षेत्रों और जिन चैप्टरों का हमने दौरा नहीं किया है, वहां से समुचित रिटर्न प्राप्त हो गए हैं, जब तक कि उपरोक्त पैरा 1 में अन्यथा न कहा जाए)।

(ग) संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित, संस्थान के क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों के लेखाओं की रिपोर्ट जैसा हमें प्राप्त हुई थी, इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित विचार किया गया है।

(घ) उपरोक्त पैरा 1, 4 और पैरा 6 में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन इस रिपोर्ट में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद लेन—देन विवरण, उन क्षेत्रों और चैप्टरों जिनका हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त लेखा बहियों और रिटर्न के अनुसार हैं और ये लेखांकन मानकों को पूरा करते हैं।

कृते **बी.एम. चतरथ अय्यर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड

सीए संजय सरकार
अकाउंटेंट्स
सदस्यता संख्या : 064305

एफआरएन : 301011ई/ई/300025

दिनांक: **16 सितंबर, 2017**
स्थान: कोलकाता,

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

विगत 2015-16 रुपए	विवरण	अनुसूची सं0	इस वर्ष 2016-17 रुपए	रुपए
	संस्थान निधि			
2,554,268,869	सामान्य निधि	(1)		2,615,711,488
1,531,916	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		1,127,361
7,599,950	विविध पुरस्कार निधि	(3)		7,954,857
32,679,007	अन्य निधि	(4)		24,212,577
2,596,079,742	**कुल**			**2,649,006,283**
	निम्नलिखित शामिल हैं :			
	अचल परिसंपत्तियां	(5)		
1,067,824,092	(क) सकल ब्लॉक		1,145,094,330	
370,773,369	(ख) घटाएं मूल्यह्रास		428,929,593	
697,050,723	(ग) निवल ब्लॉक			716,164,737
161,	पूंजी कार्य प्रगति पर			122,344,524
500	निवेश	(6)		110,050,750
1,879,358,194	वर्तमान परिसंपत्ति	(7)	1,873,725,539	
45,585,371	ऋण एवं अग्रिम	(8)	32,226,319	
1,924,943,565			**1,905,951,858**	
187,071,943	घटाएं : वर्तमान देयताएं और प्रावधान	(9)	**205,505,586**	
1,737,871,622	**निवल वर्तमान परिसंपत्ति**			**1,700,446.27**
2,596,079,742	**कुल**			**2,649,006.28**
	लेखाओं पर टिप्पणियां	(15)		

उपरोक्त अनुसूचियां लेखा की भाग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी. एम. चतरथ एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 30101ई/ई 300025

	सीएमए अरुप शंकर बागची निदेशक (वित्त)	**सीएमए कौशिक बनर्जी** सचिव
सीए संजय सरकार भागीदार सदस्यता संख्या : 064305	**सीएमए एच. पदमानाभन** उपाध्यक्ष	**सीएमए संजय गुप्ता** अध्यक्ष
कोलकाता **तारीख: 16.09.2017**		

आय और व्यय का लेखा
दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार
(एनआईआरसी के साथ)

विगत वर्ष **2014-15** रुपए	विवरण	अनु. सं.	वर्तमान वर्ष **2015-16** रुपए
	आय:		
36,397,166	सदस्यता एवं अन्य शुल्क	**(10)**	47,114,277
459,296,119	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	**(11)**	444,125,764
175,566,662	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	**(12)**	148,853,612
21,601,223	सी. पी.डी. एवं अन्य कार्यक्रम शुल्क		16,682,735
1,294,969	पत्रिका अंशदान पत्रिका के लिए विज्ञापन सहित		1,109,420
1,461,828	प्रकाशन की बिक्री		686,242
129,611,577	ब्याज		122,141,986
6,703,271	अन्य आय		7,254,280
831,932,815	**कुल :**		**787,968,316**
	व्यय :		
246,893,494	स्थापना	**(13)**	242,462,674
128,372,157	कार्यालय व्यय	**(14)**	105,129,729
1,387,795	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		1,507,166
14,425,231	यात्रा एवं वाहन		11,455,051
109,891,100	परीक्षा व्यय		98,370,855
26,816,467	परिषद एवं समिति की बैठकों का व्यय		22,965,914
18,114,217	ट्रिब्युनल सहित चुनाव का खर्च		-
19,805,127	पत्रिका व्यय		16,496,887
9,230,410	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		7,639,448
4,344,466	सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें		2,416,403
33,820,756	सीपीडी तकनीकी विकास एवं अन्य कार्यक्रम व्यय		20,917,244

8,997,360	व्यावसायिक विकास व्यय		12,760,561
119,375,788	कोचिंग व्यय		108,244,992
39,900,457	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणें की खपत		18,809,305
467,014	प्रकाशन सामग्री की खपत		359,145
633,360	बट्टे–खाते में डाली गई अन्य परिसंपत्तियां (स्टॉक एवं देनदार)		4,005,128
-	संदेहास्पद ऋण (विविध ऋणदाता)		300,226
73,788,184	मूल्यह्रास	(5)	69,054,319
856,263,383	**कुल**		**742,895,047**
(24,330,568)	**व्यय से अधिक आय होने के कारण आधिक्य शेष राशि जो आगे ले जाई गई है**		**45,073,269**

आय और व्यय का लेखा

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार

विगत वर्ष 2015-16 रु.	विवरण	अनु. सं.	वर्तमान वर्ष 2016-17 रु.
(24,3330,568)	**आय से अधिक व्यय का घाटा होने पर शेष राशि**		**45,073,269**
(1,123,803)	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	**(14क)**	**(4,816,432)**
(25,454,371)	**आय से अधिक व्यय का घाटा होने पर शेष राशि को सामान्य निधि में हस्तांतरित**		**40,256,837**
	लेखा टिप्पणियां	**(15)**	
उपरोक्त अनुसूचियां लेखा की भाग हैं।			

कृते **बी. एम. चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 30101ई/ई 300025

सीएमए अरुप शंकर बागची
निदेशक – वित्त

सीएमए कौशिक बनर्जी
सचिव

सीए संजय सरकार
भागीदार
सदस्यता संख्या : 064305

सीएमए एच. पदमानाभन
उपाध्यक्ष

सीएमए संजय गुप्ता
अध्यक्ष

कोलकाता
तारीख: 16.09.2017

अनुसूची संख्या 1: सामान्य निधि 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार

पिछला वर्ष 2015-16	विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17	
रुपए		रुपए	रुपए
2,577,403,797	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार शेष		**2,554,268,869**
	जोड़िए :		
1,358,705	i) चैप्टर की भूमि और भवन का पूंजीकरण	21,213,423	-
253,022	ii) लाइब्रेरी कोष से हस्तांतरण	(2,478,275)	
2,579,015,524			18,735,148
	घटाएं :	-	**2,573,004,017**
	i) निम्नलिखित के तहत समायोजन करके		
1,915,393	अध्ययन सामग्री और विवरणिका का स्टॉक		
2,577,100,131		-	**2,573,004,017**
2,623,109	जोड़िए : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	-	2,450,634
2,579,723,240			2,575,454,651
		-	
		-	
(25,454,371)	जोड़िए : आय और व्यय लेखे के अनुसार		40,256,837
	वर्ष के लिए निवल अधिशेष		
2,54,268,869	**कुल**		**2,615,711,489**

अनुसूची सं. 2 : 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी उपदान निधि

पिछला वर्ष 2015-16	विवरण	इस वर्ष 2016-17
रु.		रु.
23,08,288	पूर्ववर्ती तुलनपत्र के अनुसार शेष	**15,31,916**
3,55,035	जोड़िए : वर्ष के लिए अंशदान	3,25,892
26,63,323		**18,57,808**
1,19,770	जोड़िए : वर्ष के लिए निधि की	71,971
	सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	
-	घटाएं : न्यास को भुगतान की गई राशि	
12,51,177	घटाएं : वर्ष के दौरान	8,02,418
	कर्मचारियों को प्रदत्त उपदान	
15,31,916	**कुल**	**11,27,361**

अनुसूची संख्या 3 : 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विविध पुरस्कार निधि

पिछला वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष
2015-16		**2016-17**
रुपए		**रुपए**
6,270,924	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार शेष	**7,599,950**
592,299	जोड़िए : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	153.688
951,461	जोड़िए : वर्ष के दौरान जमा आय	625,060
(214,734)	घटाएं : पुरस्कार की लागत	(423,841)
7,599,950	**कुल**	**7,954,857**

अनुसूची संख्या 4 : 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अन्य निधि

पिछला वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष
2015-16		**2016-17**
रुपए		**रुपए**
370,550	भवन निधि	3,032,683
761,488	पुस्तकालय निधि	3,213,883
31,546,969	विविध निधि	17,966,011
32,679,007	**कुल**	**24,212,577**

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2016 को प्रारंभिक लागत	अवधि के दौरान अभिवृद्धि	घटाएं : अवधि के दौरान अचल परिसम्पतियों का समायोजन	31.03.2017 को कुल राशि	01.04.2016 तक	वर्ष के लिए	जोड़ें /(घटाएं) : अवधि के दौरान अचल परिसम्पतियों का समायोजन	31.03.2017 तक	वर्तमान वर्ष 2016-17	विगत वर्ष 2015-16
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
मूर्त परिसंपत्तियां:										
फ्रीहोल्ड भूमि	155,719,840	4,800,980	(1,546,800)	158,974,020	-	-		-	158,974,020	155,719,840
लीज होल्ड भूमि	64,641,546		(210,296)	64,431,250	5,735,966	832,057	(210,295)	6,357,728	58,073,522	58,905,580
फ्रीहोल्ड भवन	572,946,383	50,382,806	-	623,329,189	196,704,007	42,700,090	(209,854)	239,194,243	384,134,946	376,242,376
फर्नीचर और फिटिंग्स	68,617,478	6,642,201	(146,710)	75,112,969	29,622,132	4,753,146	(2,313,404)	32,061,874	43,051,095	38,995,346
पुस्तकालय की पुस्तकें	11,939,652	640,997	-	12,580,649	11,939,652	648,240	(7,243)	12,580,649	-	-
कार्यालय उपकरण	73,560,394	14,020,468	(518,045)	87,062,817	34,924,874	8,311,160	(3,919,952)	39,316,082	47,746,735	38,635,520
जेनरेटर	12,394,665	2,452,078	-	14,846,743	4,185,810	1,463,094	717,819	6,366,723	8,480,020	8,208,855
लिफ्ट	11,058,273	3,004,860		14,063,133	3,261,627	1,617,748	(1)	4,879,374	9,183,759	7,796,646

मोटर कार	510,460		(3,407)	507,053	403,993	15,969	(3,406)	416,556	90,497	106,467
कंप्यूटर	54,985,290	447,924	(1,651,504)	53,781,710	51,279,118	3,028,586	(2,833,185)	51,474,519	2,307,191	3,706,172
साईकिल	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
अमूर्त परिसम्पतियां										
साफटवेयर	41,441,743	-	(1,045,314)	40,396,429	32,707,822	5,684,229	(2,118,574)	36,273,477	4,122,952	8,733,921
	1,067,824,092	**82,392,314**	**(5,122,076)**	**1,145,094,330**	**370,773,369**	**69,054,319**	**(10,898,095)**	**428,929,593**	**716,164,737**	**697,050,723**
विगत वर्ष	**1,022,411,687**	**36,667,587**	**8,546,764**	**1,067,824,092**	**297,372,834**	**73,788,184**	**(387,649)**	**370,773,369**	**697,050,723**	**725,038,853**
चालू पूंजीगत कार्य (पूंजीगत अग्रिम रूपए 1,85,28,800) प्रगति पर है ।									**122,344,524**	**161,156,897**

अनुसूची संख्या 6 : 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार निवेश (लागत पर)

पिछला वर्ष 2015-16	**विवरण**	**इस वर्ष 2016-17**
रु.		**रु.**
	सहकारी न्यास के शेयर :	
	10 रूपए प्रत्येक के 50 शेयर	
500	रोहित चैम्बर प्रेमिसेस को–आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई	**500**
	(पूर्व में जय वृंदावन प्रेमिसेस ट्रस्ट फंड, मुंबई)	
	मुंबई आईसीएआई की इनसोलवेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में निवेश (10 रूपए प्रत्येक के अभिदत्त शेयर –1,10,00,000 संख्या में)	110,000,000
	अन्य	50,250
500	**कुल**	**110,050,750**

अनुसूची संख्या 7 : 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियां

	स्टॉक :		
997,909	- प्रकाशन स्टॉक (लागत पर)		1,211,418
3,934,459	- पेपर स्टॉक (लागत पर)		902,622
10,976,891	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री (लागत पर)		7,587,888
2,140,707	- अन्य सामग्री का स्टॉक (लागत पर)		1,14,196
15,360,426	**विविध कर्जदार**	20,212,200	
	कर्जदार	251,025	19,961,175
82,549,815	**अन्य प्राप्तव्य**		79,931,751
—	**नकदी और बैंक शेष:**		1,347,465

1316410	रोकड़ शेष		–––
––	डाक टिकटें शेष		
	अनुसूचित बैंकों के पास शेष:		123,805,440
58,883,270	चालू खाते में		44,286,737
45,124,772	बचत खाते में	-	1,594,576,847
1,658,073,535	**बैंकों के पास सावधि जमा:**		18737,25,539
1,879,358,194	**कुल**		1,873,725,539

अनुसूची संख्या 8 : 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ऋण और अग्रिम

विगत वर्ष 2015-16	विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17
रुपए		रुपए
28,337	कर्मचारियों को भवन ऋण	133,457
221,078	कर्मचारियों को वाहन खरीद अग्रिम	21,170
7,862,262	अन्य अग्रिम	6,804,570
557,220	कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम	578,545
6,663,330	विदेशी निकायों को अग्रिम सदस्यता अंशदान	
22,738,743	टी डी एस प्राप्ति	17,618,388
1,956,450	पूर्व प्रदत्त खर्च	1,945,472
5,555,951	जमा	5,124,717
45,585,371	**कुल**	**32,226,319**

अनुसूची संख्या 9 : 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

विगत वर्ष 2015-16		वर्तमान वर्ष 2016-17
रु.		रु.
	वर्तमान देयताएं :	
7,743,955	लइब्रेरी जमा	3,383,979
39,374,527	विविध ऋण	28,889,142
10,216,735	आरसी के पास चालू खातों एवं चैप्टर	9,705,194
114,704,074	अन्य देनदारियां	149,544,952
3,797,835	देय टीडीएस	4,376,869
11,234,817	प्रावधान	9,605,450
187,071,943	**कुल**	**20,55,05,586**

प्रावधानों की अनुसूची :

विगत वर्ष 2015-16 रुपए	विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17 रुपए
	मुख्यालय	
40,000	- सहकारी ऋण सोसाइटी को अनुदान	40,000
	व्यय के लिए प्रावधान	
1,476,704	- एसआईआरसी	1,460,879
(35,706)	- एनआईआरसी	528,579
4,282,400	- डब्ल्यूआईआरसी	3,290,407
5,471,479	- चैप्टर	4,285,585
11,234,817	**कुल**	**9,605,450**

अनुसूची संख्या 10 : 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यता और अन्य शुल्क

विगत वर्ष 2015-16 रुपए	विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17 रुपए
28,284,388	वार्षिक सदस्यता शुल्क	38,888,902
6,269,910	सदस्यों का कार्य प्रमाण पत्र शुल्क	6,664,511
49,555	ग्रेड सी.डब्ल्यू.ए. शुल्क	17,875
339,478	सदस्यों की शिकायत/बहाली शुल्क/नामांकन शुल्क	166,147
8,500	प्रमाणित सुविधा केन्द्र शुल्क	18,500
1,421,335	सदस्यता और प्रमाणन शुल्क–आई एम ए (यू एस ए)	1,329,342
24,000	बेहतर स्थिति प्रमाण पत्र	29,000
36,397,166	**कुल**	**47,114,277**

अनुसूची संख्या 11 : 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शिक्षण और अन्य शुल्क

विगत वर्ष 2015-16 रुपए	विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17 रुपए
12,165,000	छात्रों का पंजीकरण शुल्क	12,901,000
5,867,687	प्रायोगिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	8,627,000
2,040,988	व्यावहारिक प्रशिक्षण/विषय छूट शुल्क	1,793,057
386,807,086	शिक्षण शुल्क	367,253,048
29,855,418	कंप्यूटर प्रशिक्षण शुल्क	37,533,254
6,779,141	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	7,911,599
2,521,738	विवरणिका की बिक्री	1,652,661
13,255,961	अध्ययन नोट्स की बिक्री	6,454,010
3,100	डाक, कोचिंग, पुनर्वैधीकरण एवं नए सिरे से फार्म	135
459,296,119	**कुल**	**444,125,764**

अनुसूची संख्या 12 : 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षा और अन्य शुल्क

विगत वर्ष 2015-16 रुपए	विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17 रुपए
172,532,865	परीक्षा शुल्क	145,939,984
2,922,000	उत्तर पत्रों की जांच के लिए शुल्क	2,893,250
120	स्केनर सहित सुझावित उत्तर की बिक्री	–––
111,677	परीक्षा प्रपत्रों की बिक्री	20,378
175,566,662	**कुल**	**148,853,612**

अनुसूची संख्या 13 : 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्थापना

विगत वर्ष 2015-16 रुपए	विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17 रुपए
198,845,872	वेतन और भत्ते	195,858,002
3,603,612	कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान	3,229,843
19,054,804	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	17,633,865
3,204	कर्मचारी हितकारी निधि में नियोक्ता का अंशदान	2,836
8,480,557	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण में नियोक्ता का अंशदान	9,636,911
4,268,315	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण–विद्यमान	4,932,664
6,852,387	चिकित्सा व्यय	6,562,929
1,011,992	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	475,331
1,326,516	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आई निरीक्षण प्रभार	810,193
3,446,235	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	3,320,100
246,893,494	**कुल**	**242,462,674**

अनुसूची संख्या 14 : 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कार्यालय व्यय

विगत वर्ष 2015-16 रुपए	विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17 रुपए
7,523,628	मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	6,326,095
11,717,895	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	11,385,214
3,356,725	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,971,767
10,434,457	विद्युत प्रभार	9,722,381
230,025	जेनेरेटर व्यय	166,920
8,,023,301	दरें और कर	9,721,064
894,406	बीमा	1,128,223
10,965,646	मरम्मत और रखरखाव व्यय	9,762,886
1,650,465	कार व्यय	1,206,985
7,820	जमानती जमा पर व्याज	10,470
6,179,600	विधिक प्रभार	2,560,470
181,482	बैंक प्रभार	234,646
4,366,606	कंप्यूटर रखरखाव व्यय	2,977,436
13,747,339	जन संपर्क व्यय	2,279,978
4,629,463	सुरक्षा एवं देखरेख संबंधी व्यय	1,900,030
624,567	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	460,174
347,314	शिष्टमंडल शुल्क	122,047
105,350	राजपत्र अधिसूचना	340,845
2,415,624	कर्मचारी कल्याण	2,434,231
8,892,344	किराया	7,767,748
24,979,539	प्रशासनिक प्रभार	28,971,472
7,098,561	विविध व्यय	3,678,647
128,372,157	**कुल**	105,129,729

	दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अवधि से पूर्व का समायोजन	
	अवधि से पूर्व की आय	
4,221,656	मुख्यालय	194,041
———	डब्ल्यूआईआरसी	1,087,416
105,063	ईआईआरसी	———
2,874	एनआईआरसी	14,628
290,999	डब्ल्यूआईआरसी के चैप्टर	307,595
204,415	एसआईआरसी के चैप्टर	42,190
32,927	ईआईआरसी के चैप्टर	96,000
83,900	एनआईआरसी के चैप्टर	285,661
49,41,834	**कुल (क)**	**2,027,531**
	अवधि से पूर्व की आय	
4,576,165	मुख्यालय	6,219,341
331,500	इआईआरसी	7,135
117,808	डब्ल्यूआईआरसी	97,703
141,842	डब्ल्यूआईआरसी के चैप्टर	422,958
841,282	एसआईआरसी के चैप्टर	4,018
55,660	ईआईआरसी के चैप्टर	37,600
1,380	एनआईआरसी के चैप्टर	55,208
6,065,637	**कुल (ख)**	**6,843,963**
1,123,803	**अवधि से पूर्व का समायोजन (क–ख)**	**(4,816,432)**

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार नकद लेन–देन विवरण

प्रचालन क्रियाकलापों से नकद लेन–देन			
(25,454,371)	कराधान से पूर्व निवल अधिशेष एवं असाधारण मद	40,256,837	
73,7888,184	जोड़ें : मूल्यह्रास	69,054,319	
48,333,813	**कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष**	**109,311,156**	
19,978,409	चालू देनदारियों में वृद्धि/कमी	18,433,643	
(16,588,900)	चालू संपत्तियों में वृद्धि/कमी	(19610209)	
36,567,309		**38,043,852**	
84,901,122	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी**		**1437,355,008**
	निवेश क्रियाकलापों से नकदी लेनदेन		
95,125818	निर्धारित परिसंपत्तियों की खरीद	38,457,865	
———	निवेश में वृद्धि	110,050,250	
95,125,818	**निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी**		**148,508,115**
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी		
23,929,805	पूंजी में वृद्धि	1,771,609	
23,929,805	**वित्तपोषण क्रियाकलापों से निबल नकदी**		1,771,609
13,705,109	**नकदी और नकदी की समान मदों में निवल वृद्धि**		**618,502**
1,749,692,878	जोडें – प्रारंभिक अवधि में नकदी और नकदी की समान मदें		1,763,397,987
1,763,397,987	**दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी की समान मदें**		**1,764,016,489**
1,316,410	नकदी	1,347,465	
1,658,073,535	सावधि जमा	1,594,576,847	
58,883,270	बैंक में जमा शेष – चालू खाता	123,805,440	
45,124,772	बैंक में जमा शेष – बचत खाता	44,286,737	
1,763,397,987		**1,764,016,489**	

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के भाग स्वरूप टिप्पणियां

अनुसूची–15

क. प्रमुख लेखांकन नीतियां :

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा, लेखांकन सिद्धांतों, लागू लेखा मानकों, यथा संशोधित लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के अधीन और जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाता है।

2. समेकन का आधार

मुख्यालय (कोलकाता) और नई दिल्ली कार्यालय एवं उसकी चार क्षेत्रीय परिशदों तथा बानवे चेप्टरों के वित्तीय विवरणों का समेकन समस्त वास्तविक अंतरा समूह शेष राशि और अंतरा समूह लेन देनों, जिसके परिणामस्वरूप अप्राप्त अधिषेश तथा घाटा उत्पन्न होता है, को समाप्त करने एवं अपेक्षानुसार आवश्यक समायोजन करने के बाद परिसंपत्तियां और देयताएं, आय और व्यय की समान मदों के खाता मूल्य को जोड़कर किया जाता है।

3. प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत किया जाता है।

4. पंजीकरण शुल्क

विद्यार्थियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को, जैसे ही विद्यार्थी नामांकित होता है, राजस्व आय के रूप में माना जाता है।

5. राजस्व को मान्यता देना

संस्थान आय की महत्वपूर्ण मदों को निम्नलिखित आधार पर स्वीकार करता है:.

(क) सदस्यों का अंशदान

सदस्यों के अंशदान को उस वर्ष में स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष का वह अंशदान हो।

(ख) शिक्षण और अन्य शुल्क

डाक और मौखिक शिक्षण शुल्क के संबंध में प्राप्त राजस्व को छात्र के नामांकित होने पर ही स्वीकार किया जाता है।

(ग) प्रकाशन की बिक्री

प्रकाशनों की बिक्री के संबंध में राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब ऐसे प्रकाशनों को किसी कीमत पर प्रयोक्ता को हस्तांतरित किया जाए।

(घ) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क उस संबंधित अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि का वह होता है।

(ड.) अन्य

कार्यक्रम शुल्क से प्राप्त राजस्व को ऐसे कार्यकलाप किए जाने पर ही मान्यता दी जाती है।

(च) ब्याज

बैंकों में जमा राशि पर उक्त वर्ष के लिए ब्याज से प्राप्त आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(छ) निवेशों से आय को तभी स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाए।

6. **व्यय**

व्यय को निम्नलिखित मामलों को छोडकर डाक और मौखिक कोचिंग से संबंधित खर्चों सहित प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है:–

(1) चैप्टरों से संबंधित वार्षिक अनुदान को संवितरित किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

(2) चुनाव पर होने वाले खर्च को उस वित्तीय वर्ष में स्वीकार किया जाता है जिसमें वह खर्च हुआ हो।

7. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास को घटाकर उल्लिखित किया जाता है। लागत में खरीद कीमत और परिसंपत्ति को उसके प्रत्याशित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए वहन की गई कोई भी अन्य लागत शामिल होती है। सृजित की जा रही परिसंपत्तियों को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया जाता है।

8. मूल्यह्रास/परिशोधन :

(क) अचल परिसंपत्तियों संबंधी मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अवलिखित मूल्य पद्धति पर दर्शाया जाता है ।

(ख) पट्टे कर भूमि का बही मूल्य उस पर प्रदत्त प्रीमियम सहित पट्टा–अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि का किराया, यदि कोई हो, तो उसको उस वर्ष के खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष के लिए ऐसे प्रभार बकाया या देय हों।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों में खरीद के वर्ष में 100 प्रतिषत का मूल्यह्रास होता है।

9. **निवेश**

दीर्घावधिक निवेशों को लागत के रूप में उल्लिखित किया जाता है। तथापि, जब दीर्घावधिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से इतर गिरावट आती है, तो गिरावट को मान्यता देने के लिए वहनीय राशि घटाई जाती है।

10. **माल–सूचियां**

विवरणिका स्टॉक आदि समेत प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री और पेपर स्टॉक का मूल्य, लागत या निबल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री की लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है और कागज की लागत प्रथम प्राप्त प्रथम निर्गत आधार पर निर्धारित की जाती है।

11. **प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का लेखांकन**

(1) किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है:–

(क) जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो,

(ख) ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का प्रवाह अपेक्षित है; और

(ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(2) निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गयी है :–

(क) कोई संभावित दायित्व जो पूर्ववर्ती घटना से उत्पन्न हो और जिसकी मौजूदगी की पुष्टि एक या उससे अधिक ऐसी अनिश्चित भावी घटनाओं के होने अथवा नहीं होने से होती हो जो संस्था के पूर्णतः नियंत्रण में न हों।

(ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न हो, परंतु उसे मान्यता इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधन का कोई प्रवाह अपेक्षित होगा या दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में व्यक्त किया गया है । इनका नियमित अंतराल पर आकलन किया गया है और दायित्व के केवल उसी हिस्से, जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के प्रवाह की संभावना हो, के लिए उन अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर प्रावधान किया गया है, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके।

12. **विदेशी मुद्रा में लेन–देन**

विदेशी मुद्रा में लेन–देन सौदे की तारीख को प्रचलित विनिमय दर में मूल्यवर्गित किया जाता है । मौद्रिक मदों को अंतिम दर का प्रयोग करके दर्शाया गया है। आरंभ में रिकॉर्ड या रिपोर्ट की गई मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर में अंतरों को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

13. कर्मचारी लाभ :

(1) अल्पावधिक लाभ

अल्पावधिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के दौरान दावा किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है । दावा न की गई राशि का प्रावधान किया गया है।

(2) नौकरी के बाद के लाभ जैसे भविष्य निधि, उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि का प्रावधान मुख्यालय संबंधित क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों में यथा लागू रूप में किया गया है।

14. परिसंपत्तियों का नुकसान

तुलन पत्र की तारीख को नुकसान वाली परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, की पहचान की जाती है और यथापेक्षित आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

15. पूर्वावधि आय/व्यय

पूर्वावधि की मदों, जो एक या उससे अधिक पूर्ववर्ती अवधियों में वित्तीय विवरण तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में आती हैं, को आय और व्यय लेखे में अलग से दर्शाया गया है।

ख. लेखाओं के भागस्वरूप टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण मुख्यालय (कोलकाता) तथा नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और तिरासी चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जबलपुर, जाजपुर–किओन्झार, तलचर–अंगुल, भद्रावती–शिमोगा, पाण्डिचेरी, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, नया नंगल और नोएडा के तीन चेप्टरों के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः उन पर विचार नहीं किया गया। तथापि, इन चेप्टरों के विगत वर्ष के तुलन पत्र के आंकड़ों पर समेकन के लिए विचार किया गया है (देखें : अनुबंध–।)।

2. झागरखंड चिरिमिरी, कोरबा, कोंकण, सिलचर और चन्द्रापुर चेप्टरों को संस्थान के साथ समामेलित कर दिया गया हैं क्योंकि इन चेप्टरों को विघटित कर दिया गया है।

3. आयकर में छूट, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 10 (23 क) के अंतर्गत प्रदान की गई हैं । अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

4. संस्थान द्वारा रखी जाने वाली सभी पुरस्कार निधियां तत्संबंधी सावधि जमा में संगत निवेश के साथ लेखाओं में शामिल की गई हैं । ये निधियां विभिन्न दाताओं द्वारा प्रायोजित की गई हैं।

5. 1,59,45,76,847/–रूपए की सावधि जमा में विविध पुरस्कार और अन्य निधि के लिए 37,27,420/– रूपए शामिल हैं।

6. अन्य अग्रिमों में परिषद के भूतपूर्व सदस्य से एम सी ए, भारत सरकार द्वारा भत्तों की अनुमति न दिए जाने के कारण बकाया 1,36,097 रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 1,36,097 रूपए) शामिल हैं और यह मामला अभी भी न्यायाधीन है।

7. सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल है :–

सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (मुख्यालय)	–	4,89,346 रूपए
		4,89,346 रूपए

8. **(1) मुख्यालयः**

(क) भविष्य निधि अंशदान इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि न्यास में किया जाता है।

(ख) उपदान अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) के अनुसार उपदान के संबंध में देयता को सामूहिक उपदान नीति के तहत एल. आई.सी.आई. को किए गए अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देयता को एल.आई.सी.आई. के पास रखी गई अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) 66,23,59,364/– रूपए की सावधि जमा में विविध पुरस्कार और अन्य निधियों के लिए 29,18,957/– रूपए शामिल है।

(ड.) संस्थान ने परिषद की 17 और 18 मार्च, 2017 को संपन्न हुई 303 वीं बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसार 11.00 करोड रूपए (जिसमें 10 रूपए प्रति शेयर के 1,10,00,000 शेयर हैं) का निवेश किया है। यह निवेश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत उसकी पूर्णस्वामित्वाधीन कंपनी में किया गया है, जो कि इनसोलवेंसी और बैंकरप्टसी संहिता 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत इनसोलवेंसी एजेंसी के रूप में दिल्ली में पंजीकत की जाने वाली कंपनी है। यह निवेश ऐसी कंपनी के संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम का अनुमोदन करके किया गया है।

(च) आईपीए को समावेशन और उनसे प्राप्त होने वाले संबदध व्यय के लिए 22,00,000/– रूपए की राशि का भुगतान किया गया है।

(2) डब्ल्यू आई आर सी

संस्थान की 10,87,416/– रूपए की निधि को आय और व्यय लेखा में पूर्व वर्ष के समायोजन के रूप में अंतरित कर दिया गया है क्योंकि उक्त राशि को पुस्तकें और फर्नीचर खरीदने के लिए पहले से ही खर्च कर दिया गया है और पुस्तकों और फर्नीचर के मूल्य का मूल्यह्रास इस अवधि के दौरान हो गया है। उक्त राशि को वर्तमान वर्ष के आय और व्यय के लेखा में पूर्व अवधि के समायोजन के रूप में माना गया है और उसे डब्ल्यूआईआरसी की कार्पस निधि में अंतरित कर दिया गया है।

(3) एस आई आर सी

(1) सीबीआई में सावधिक जमा 8,46,436 रूपए मूल्य की धनराशि को आक्षय/स्मारक निधियों और भवन विकास निधियों आदि के अंत शेष के रूप में चिन्हित किया गया है।

(2) वित्तीय वर्ष 2016–17 में तीन वर्षों से अधिक अवधि से दावा नहीं की गई 12100 से 12187 तक की संख्या वाले कार्डों के लिए 32,200/– रूपए की पुस्तकालय जमा राशि को क्षेत्रीय परिषद निधि में अंतरित कर दिया गया है। भविष्य में कोई प्रतिपूर्ति किए जाने की स्थिति में भुगतान उस निधि से अदा कर दिया जाएगा।

(4) ई आई आर सी

1. पिछले वर्षों 2 (दो) कर्मचारियों को देय पीपीएफ की 7135 रूपए की राशि का भुगतान चालू वर्ष में किया गया है, जिसे पूर्व अवधि के व्यय के रूप में माना गया है।

2. 31.03.2017 तक की स्थिति के अनुसार 12,71,939 रूपए के विविध कर्जों में से तीन वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए अभी 9,47,720 रूपए वसूल किए जाने बाकी हैं।

3. विभिन्न पक्षकारों से 13,69,101 रूपए की अग्रिम राशि अभी वसूल की जानी बाकी है।

4. ईआईआरसी ने वर्ष के दौरान सेवा निवत हुए दो कर्मचारियों की 20,00,000 रूपए की ग्रेच्युटी की राशि जमा करा दी है। उनको केवल उसी निधि में से भुगतान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एलआईसी की ग्रेच्युटी की राशि पर प्रोदभवन मूल्य अभी वसूल किया जाना है।

5. ईआईआरसी परिसर के लिए वित्त वर्ष 2012–13 और 2013–14 में नवीकरण व्यय के संबंध में सीडब्ल्यूआईपी में पूर्व वर्ष से 1,60,44,103 रूपए की राशि शेष पड़ी है। तद्नुसार, पूंजीकरण के संबंध में लंबित निर्णय के कारण कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है।

6. ईआईआरसी ने एसबीआई, हरीश मुखर्जी रोड शाखा के साथ एक लीज करार किया था। यह लीज करार 31.12.2012 को समाप्त हो गया था और ईआईआरसी ने इसका नवीकरण नहीं किया था। परिसर को खाली कराने के लिए ईआईआरसी द्वारा एसबीआई को किए गए निरंतर अनुरोधों का कोई परिणाम नहीं निकला है। ईआईआरसी ने लीज डीड के समाप्त होने के बाद से लेकर अब तक एसबीआई से कोई किराया पाप्त नहीं किया है।

(5) एनआईआरसी

1. एनआईआरसी में कार्यकारी समिति की 6 अक्टूबर, 2015 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर तथा क्षेत्रीय परिषद की दिनांक 22.11.2015, 27.11.2015 और 25.05.2016 हुई बैठक में उसकी संपुष्टि किए जाने पर पूर्ववर्ती अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र शर्मा को वर्ष 2014–15 के लिए 41,44,422/–रूपए की राशि का एक डेबिट नोट भेजा गया था। क्षेत्रीय परिषद ने दिनांक 31.05.2017 को हुई अपनी बैठक में 41,44,422/– रूपए की घनराशि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रभारित ब्याज के साथ (3,31,554/– रूपए) कुल 44,75,976/– रूपए की राशि वसूल करने के लिए एक दावा दायर करने का निर्णय लिया है। यह राशि उक्त तारीख से श्री विजेन्द्र शर्मा से वसूल की जानी है जो कि वर्ष 2014–15 में अध्यक्ष थे क्योंकि इसे राजस्व लेखा में दर्ज नहीं किया गया है। इस राशि को वसूल करने का दावा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है और इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

2. पुस्तकालय प्रतिभूति के संबंध में उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए छात्रों द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति के रूप में जमा की गई 24,78,275/– रूपए की धनराशि सितंबर, 2014 से बिना किस दावे के पडी हुई थी, जिसे क्षेत्रीय परिषद के निर्णय के अनुसार जब्त कर लिया गया है और उसे पुस्तकालय निधि लेखा में अंतरित कर दिया गया है क्योंकि छात्रों से प्राप्त हुई विगत प्रतिभूति अथवा उन्हें प्रतिपूर्ति करने से 2 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है।

3. संस्थान के भूतपूर्व कर्मचारी, श्री प्रदीप सरीन से 8,02,418/– रूपए की राशि बकाया है क्योंकि उसे वर्ष 2015–16 के पूर्ववर्ती अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27.11.2015 के कार्यालय आदेश द्वारा कार्य मुक्त कर दिया गया था। तथापि, श्री प्रदीप सरीन से निरंतर अनुरोध किए जाने और अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी वह एनआईआरसी कार्यालय को रिपोर्ट करने और सेवानिवति की औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।

4. सत्यापित ऑनलाईन्स शुल्कों की स्थिति के अनुसार एनआईआरसी की ओर 4,02,900/– रूपए की टीडीएस मांग बकाया है। हालांकि इस वर्ष इसके लिए प्रावधान कर दिया गया गया, फिर भी इस संबंध में वर्ष के दौरान विभाग के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

5. वर्तमान लेखा – प्रकाशन, फार्म, विवरणिका और वर्तमान लेखा (व्यय की प्रतिपूर्ति) में विभिन्न चेप्टरों से प्राप्त करने योग्य अधिशेष राशि निर्दिष्ट की जाती है। परिषद के निर्णय के अनुसार जनवरी, 2014 से बकाया 41,625.00 रूपए की बकाया धनराशि को बटटे खाते डाल दिया गया है क्योंकि चेप्टरों से इसकी कोई संपुष्टि प्राप्त नहीं की गई है।

6. 1,07,800 रूपए मूल्य के कानूनी प्रभार, एनआईआरसी के खिलाफ दायर किए गए एक मामले से संबंधित है। मुख्यालय द्वारा इसकी कोई संपुष्टि नहीं की गई है और एनआईआरसी ने इस धनराशि को क्षेत्रीय परिषद के अनुमोदन से खर्च कर लिया है।

9. आकस्मिक देयता (ऐसे दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया)

(क) नीति के अनुसार, नीति में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन बिल प्रस्तुत करने पर कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय (सामान्य, पैथोलॉजी व्यय) की प्रतिपूर्ति की जाती है। नीति की शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित हो सकती है। दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों के खाते में 69,02,306 रूपए की अप्रयुक्त शेष राशि बकाया है।

(ख) भूतपूर्व संविदात्मक कर्मचारियों ने मुआवजे का दावा करते हुए ईआईआरसी के खिलाफ एक कानूनी मुकदमा दायर किया है। ईआईआरसी ने न्यायालय में इस मुकदमे का विरोध किया है। राशि का अभी पता लगाया जाना है।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नया पाठयक्रम 1 अगस्त, 2016 से शुरू हो गया है और पाठयक्रम 2016 के अंतर्गत परीक्षा दिसंबर, 2017 में आयोजित की जाएगी, पाठयक्रम 2012 के अंतर्गत अध्ययन सामग्री को रदद कर दिया गया है। इस अध्ययन सामग्री को रदद करने का प्रभाव निम्नानुसार है:–

	मात्रा	राशि (लाख रुपए)
अध्ययन के नोट (फाउंडेशन कोर्स पाठ्यक्रम 2012)	15177	10.61
सीएमए लक्ष्य सफलता पुस्तकें (पाठ्यक्रम 2012)	65020	13.84
विवरणिका (पाठ्यक्रम 2012)	3360	0.81
कुल		**25.26**

11. फ्रीहोल्ड भूमि और भवन तथा लीजहोल्ड भूमि के संबंध में 57.73 लाख रूपए के लिए कोई विलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। फ्रीहोल्ड भूमि और भवन के संबंध में 280.07 लाख रूपए (संस्थान के नाम में 107.99 लाख रूपए और चेप्टरों के नाम में 172.. 08 लाख रूपए) के लिए कोई मूल विलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

12. लेखाओं को बंद करने के परिपत्र की आवश्यकता के अनुपालन को सुनश्चित करने के लिए सत्रह चेप्टरों (भिलाई, इन्दौर, देवास, कोयम्बटूर, मंगलौर, नेययेली, पलाक्काड, उक्कूनागरम, अगरतला, दुर्गापुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, नाईहाटी–इचापुर, अजमेर, भिलवाडा, देहरादून, गोरखपुर, जयपुर और पटियाला) ने अपने लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिनिधित्व पत्र के रूप में घोषणा–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

13.

मामला संख्या	पार्टी का नाम	ममला किस न्यायालय में विचाराधीन है	विवरण
रिट याचिका संख्या 22566 (डब्ल्यू 2016)	मित्रा एंड एसोसिएटस और अन्य बनाम आईसीएआई और अन्य	कोलकाता उच्च न्यायालय	याचिकादाता ने धनराशि को वसूल करने के लिए मामला दर्ज किया है। यह धनराशि ईआईआरसी (84 हरीश मुखर्जी रोड, कोलकाता–700026) के निर्माण और अन्य कार्यों के कारण प्रोदभूत हो गई है, जो कि 24,79,274/– रूपए मूल्य की है।
मध्यस्थता याचिका (एसटी) वर्ष 2.017 की 7232	गुजरात कंस्टरकशन बनाम आईसीएआई	बंबई उच्च न्यायालय	यह संस्थान और ग्राहक के बीच मध्यस्थता का मामला है, जो कि 4,69,40,914/– रूपए के लिए है। संस्थान ने अपने पैनल में शामिल वकील के माध्यम से माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि संस्थान इस मामले का निपटान न्यायालय से बाहर करना चाहता है

14. कुछ सांविधिक देयताओं के कारण दावे किए जाने की संभाव्यता है जिनकी मात्रा का अनुमान इस चरण में लगाया जाना अनिश्चित है।

15. लेखाओं के समेकन के समय क्षेत्रीय परिषदों और चेप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन की प्रविष्टियां की गई हैं।

16. 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के आधार पर ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमी विकास अधिनियम, 2006'' के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमियों को ब्याज सहित कोई राशि देय नहीं हैं।

17. विगत वर्ष के आंकडों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, वहां वर्तमान वर्ष के समूहों के समनुरूप पुनःवर्गीकत और पुनःसुव्यवस्थित किया गया है।

सीएमए अरुप शंकर बागची
निदेशक (वित्त)

सीएमए कौशिक बनर्जी
सचिव

सीएमए एच. पदमानाभन
उपाध्यक्ष

सीएमए संजय गुप्ता
अध्यक्ष

कोलकाता
तारीखः 16.09.2017

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखाओं के प्राप्त होने की स्थिति

पश्चिमी क्षेत्र			दक्षिणी क्षेत्र
नाम		**क्र.सं.**	**नाम**
1. पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद		1	**दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद**
2. आईसीएआई का अहमदाबाद चैप्टर		2	आईसीएआई का बंगलौर चैप्टर
3. आईसीएआई का औरंगाबाद चैप्टर		3	आईसीएआई का भद्रावती–सिमोगा
4. आईसीएआई का बड़ौदा चैप्टर		4	आईसीएआई का कोचीन चैप्टर
5. आईसीएआई का भिलाई चैप्टर		5	आईसीएआई का कोयम्बटूर चैप्टर
6. आईसीएआई का भोपाल चैप्टर		6	आईसीएआई का ईरोड चैप्टर

7.	आईसीएआई का बिलासपुर चैप्टर	7	आईसीएआई का गोदावरी चैप्टर
8.	आईसीएआई का गोआ चैप्टर	8	आईसीएआई का हैदराबाद चैप्टर
9.	आईसीएआई का इंदौर–देवास चैप्टर	9	आईसीएआई का कोट्टायम चैप्टर
10.	आईसीएआई का जबलपुर चैप्टर #	10	आईसीएआई का मुदुरई चैप्टर
11.	आईसीएआई का कल्यान–अंबरनाथ चैप्टर	11	आईसीएआई का मंगलौर चैप्टर
12.	आईसीएआई का कोल्हापुर–सांगली चैप्टर	12	आईसीएआई का मेत्तूर–सेलम चैप्टर
13.	आईसीएआई का कच्छ–गांधीधाम चैप्टर	13	आईसीएआई का मैसूर चैप्टर
14.	आईसीएआई का नागपुर चैप्टर	14	आईसीएआई का नेल्लई–पर्ल सिटी चैप्टर
15.	आईसीएआई का नासिक–ओजार चैप्टर	15	आईसीएआई का नेल्लूर चैप्टर
16.	आईसीएआई का नवीं मुंबई चैप्टर	16	आईसीएआई का नेवेली चैप्टर
17.	आईसीएआई का पिम्परी–चिंचवाड–अकुरडी चैप्टर	17	आईसीएआई का पलक्काड चैप्टर
18.	आईसीएआई का पुणे चैप्टर	18	आईसीएआई का पांडिचेरी चैप्टर #
19.	आईसीएआई का रायपुर चैप्टर	19	आईसीएआई का रानीपेट–वेल्लूर चैप्टर
20.	आईसीएआई का सूरत–गुजरात चैप्टर	20	आईसीएआई का त्रिशूर चैप्टर
21.	आईसीएआई का वापी–दमन–सिलवासा चैप्टर	21	आईसीएआई का त्रिचूरपल्ली चैप्टर
22.	आईसीएआई का विंध्यानगर चैप्टर	22	आईसीएआई का त्रिवेन्द्रम चैप्टर
23.	आईसीएआई का सोलापुर चैप्टर	23	आईसीएआई का उकन्नाग्राम चैप्टर
		24	आईसीएआई का विजयवाड़ा चैप्टर
		25	आईसीएआई का विशाखापट्टनम चैप्टर

पूर्वी क्षेत्र			**उत्तरी क्षेत्र**	
क्र.सं.	**नाम**		**क्र.सं.**	**नाम**
1	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद		1	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद
2	आईसीएआई का अगरतला चैप्टर		2	आईसीएआई का आगरा–मथुरा चैप्टर #
3	आईसीएआई का आसनसोल चैप्टर		3	आईसीएआई का अजमेर–भीलवाड़ा चैप्टर
4	आईसीएआई का बोकारो स्टील सिटी चैप्टर		4	आईसीएआई का इलाहाबाद चैप्टर
5	आईसीएआई का भुवनेश्वर चैप्टर		5	आईसीएआई का चंडीगढ़–पंचकुला चैप्टर
6	आईसीएआई का कटक–जगतसिंहपुर–केन्द्रपारा चैप्टर		6	आईसीएआई का देहरादून चैप्टर
7	आईसीएआई का धनबाद–सिंदरी चैप्टर		7	आईसीएआई का फरीदाबाद चैप्टर
8	आईसीएआई का दुर्गापुर चैप्टर		8	आईसीएआई का गाजियाबाद चैप्टर #
9	आईसीएआई का गुवाहाटी चैप्टर		9	आईसीएआई का गोरखपुर चैप्टर
10	आईसीएआई का हजारीबाग चैप्टर		10	आईसीएआई का गुड़गांव चैप्टर
11	आईसीएआई का हावड़ा चैप्टर		11	आईसीएआई का हरिद्वार–ऋषिकेश चैप्टर
12	आईसीएआई का जयपुर–क्योंझर चैप्टर #		12	आईसीएआई का जयपुर चैप्टर
13	आईसीएआई का जमशेदपुर चैप्टर		13	आईसीएआई का जालंधर चैप्टर
14	आईसीएआई का खड़गपुर चैप्टर		14	आईसीएआई का जम्मू श्रीनगर चैप्टर
15	आईसीएआई का नईहत्ती–इचलपुर चैप्टर		15	आईसीएआई का झांसी चैप्टर
16	आईसीएआई का पटना चैप्टर		16	आईसीएआई का जोधपुर चैप्टर
17	आईसीएआई का राजपुर चैप्टर		17	आईसीएआई का कानपुर चैप्टर
18	आईसीएआई का रांची चैप्टर		18	आईसीएआई का कोटा चैप्टर
19	आईसीएआई का राउरकेला चैप्टर		19	आईसीएआई का लखनऊ चैप्टर
20	आईसीएआई का संबलपुर चैप्टर		20	आईसीएआई का लुधियाना चैप्टर
21	आईसीएआई का सेरामपोर चैप्टर		21	आईसीएआई का नया नागल चैप्टर #
22	आईसीएआई का सिलीगुड़ी–गंगटोक चैप्टर		22	आईसीएआई का नोएडा चैप्टर #
23	आईसीएआई का साउथ ओडिशा चैप्टर		23	आईसीएआई का पटियाला चैप्टर
24	आईसीएआई का तलचर–अंगुल चैप्टर #		24	आईसीएआई का उदयपुर चैप्टर

शामिल नहीं है।

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2017

No. G/18-CWA/9/2017.—In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act,1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2017 are hereby published for general information.

CMA KAUSHIK BANERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./243/17]

58th, ANNUAL REPORT, 2016-17

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 58th Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

The Directorate and its Activities

1. Cost Accounting Standards Board (CASB)

The Cost Accounting Standards Board held 4 meetings during the year 2016 - 2017 under the Chairmanship of CMA Balwinder Singh. The Board also finalized the Roadmap for the term 2016-17, which included revision of Cost Accounting Standards (CASs) already issued, development of new CASs, Guidance Notes, Impact of IndAS and GST on the existing Cost Accounting Standards.

The Council of the Institute on the recommendation of the Cost Accounting Standards Board approved the "Limited Revision of Cost Accounting Standards (CASs)". The Cost Accounting Standards (CAS-6, CAS-7, CAS-12, CAS -16 and CAS 17) were revised by CASB after in depth analysis clause by clause of existing Cost Accounting Standards. Also some of the CASs had consequential effect due to change in the above CASs and accordingly the Cost Accounting Standards (CAS-8, CAS-9, CAS-10, CAS-11, CAS-12, CAS-13, CAS-14, CAS-20, CAS-21, CAS-23 and CAS-24) were also modified slightly. The limited revision in CASs and modified CASs are available on the Institute website http://icmai.in/CASB/index.php for download. The revised of Cost Accounting Standards shall be applicable for the cost statements prepared on or after 1st April 2017.

2. Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)

The Cost Auditing and Assurance Standards Board held 4 meetings under the Chairmanship of CMA P. Raju Iyer during the year 2016-17.

(i) Cost Auditing Standards/ Standards on Cost Auditing: The Council on the recommendation of Cost Auditing and Assurance Standards Board approved use of "Cost Auditing Standards" and "Standards on Cost Auditing" interchangeably. The Council also approved the definition to be inserted in the "Standards on Cost Auditing" (SCAs) which shall be issued by the Institute after approval of Central Government in terms of Section 148(3) of the Companies Act, 2013. In view of above, the revised Preface to Cost Auditing and Assurance Standards Board was also approved by the Council.

(ii) Practical Guide to Standards on Cost Auditing: Each Standard on Cost Auditing contains Application Guidance on the requirements. Still, in order to provide detailed understanding with practical connotations, the Cost Auditing and Assurance Board felt the necessity to issue the Practical Guide to Standards on Cost Auditing. The exposure draft of "Practical Guide to the Standard on Cost Auditing (SCA) 101 - Planning an Audit of Cost Statements" was hosted on the Institute website. Based on the comments/ suggestions from the stakeholders, the Board approved the comprehensive "Practical Guide to the Standard on Cost Auditing (SCA) 101-119" and is available on the Institute website for download.

(iii) Frequently Asked Questions on Standards on Cost Auditing (FAQ on SCAs): The Board approved the exposure draft on Frequently Asked Questions on Standards on Cost Auditing (FAQ on SCAs). The comments/suggestions have been received from the stakeholders. Final version of Frequently Asked Questions on Standards on Cost Auditing (FAQ on SCAs) shall be available on the Institute website.

(iv) Standing Technical Committee on Cost Auditing Standards: In response to 15 Standards on Cost Auditing (SCAs) forwarded by the Institute to Ministry of Corporate Affairs (MCA), the MCA constituted a "Standing Technical Committee on Cost Auditing Standards" to examine the above SCAs. Senior Director (Technical) of the Institute is also the member of the Committee. The Committee has already examined 5 SCAs and submitted its report to MCA for approval of five SCAs 105-109 under section 148(3) of the Companies Act, 2013.

(v) Sectors Specific Studies: The Ministry of Corporate Affairs asked the Institute to conduct detailed studies and provide notes on the operations of Ports; Airports & Airlines; and Roads, other Infrastructure Projects & Construction Industry along with the model cost statements thereof. These studies were required for rationalization of description of these sectors in the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 with a view to ensure their proper coverage.

3. Quality Review Board (QRB)

The Board has been reconstituted on 24th May, 2016 with Shri Shakti Sinha as Chairperson. Other members of the reconstituted Board are CMA Nerender Kumar Bhola, CMA Praveer Kumar (nominated in place of Ms. Y Ray Chaudhuri on 6 Sept, 2016), CMA Sivaraman Gopalakrishnan and CMA Kunal Banerjee. The Quality Review Board had 2 meetings during the Financial Year 2016-17.

4. Directorate of Examination

Examination was conducted twice in a year; in the month of June & in December for Foundation, Intermediate, Final and Diploma courses. The examination was conducted in 118 examination centers including 3 overseas centers in June 2016 & in December 2016, there were 116 examination centers including 3 overseas centers. In total there were 45,852 examinees in June 2016 term of examination and 47,923 examinees had appeared in the examination in December 2016 term. With the active support of the Chairman and the members of the Examination Committee and all concerned, results of all the examinations were published smoothly adhering to the time schedules and conforming to the standards. Results of verification of marks for both June 2016 and December 2016 terms of examination were hosted in the Website of the Institute (www.icmai.in).

5. Directorate of Studies

The T&EF Committee during the year 2016-17 governed the activities of a) Directorate of Studies and b) Academics Department Directorate of Studies is entrusted in activities relating to student administration and liaison with stakeholders (i.e. Students/ Regional Councils/ Chapters/ CMASCs) while Academics Department is entrusted for capacity building through qualitative improvement and skill development measures. There were also many activities which were jointly contributed and effectively supervised by both the Departments.

- **Introduction of Syllabus 2016 - A Journey Towards Success:** Syllabus 2016 is introduced w.e.f 1st August 2016. Syllabus 2016 is designed to nurture young business leaders of tomorrow who can convert the dream of 'MAKE IN INDIA' into reality by taking strategic management decisions effectively in both the National and International arena. The syllabus 2016 is based on International Standards set by IFAC (International Federation of Accountants) and IAESB (International Accounting Education Standards Board) and Initial Professional Development - Professional Skills (Revised) through IEG (International Educational Guidelines).

- **Region-Wise Registration for Intermediate Course:**

  During the year 2016-17, 13691 students registered in intermediate course.

Year	WIRC	SIRC	EIRC	NIRC	Total
2013-2014	7523	10175	4769	5119	27586
2014-2015	5194	8733	3273	3803	21003
2015-2016	3306	7133	2378	2677	15494
2016-2017	2922	6397	2179	2193	13691

- **Region-wise admission in Foundation Course.**

Year	WIRC	SIRC	EIRC	NIRC	Total
2013-2014	3043	4734	2476	3669	13922
2014-2015	2657	5366	2046	2961	13030
2015-2016	2204	5442	1834	2452	11932
2016-2017	2003	4663	1895	2040	10601

❖ **Social Responsibilities**

- Fee - refund/waiver to Physically Challenged Students pursuing CMA Course
- Fee waiver and Scholarship for 'Economically-challenged-cum-meritorious students
- Minority Commission - Support the students inpursuing the CMA Course.
- Getting associated through Social Networking Media
- Conducting Career Awareness Programme through-out the country.

6. Internal Complaints Committee

As envisaged under Rule 14 – Preparation of Annual Report – under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaints Committee of ICAI wishes to place the annual report for the period 1.1.2016 to 31.12.2016 as under:

Number of complaints of sexual harassment received in the year (January 1, 2016 to December 31, 2016)	2
Number of complaints disposed off during the year (January 1, 2016 to December 31, 2016)	Nil
Number of cases pending for more than ninety days	Nil
Number of workshops or awareness programmes carried out on sexual harassment (January 1, 2016 to December 31, 2016)	6
Nature of action taken by the employer	N.A.

7. Professional Development Directorate (PD)

❖ **Representation with Government, PSUs, Banks and Other Organizations:** PD Directorate has sent more than 800 representations to various organizations for inclusion of cost accountants for providing professional services in the area of Accounts, Internal / Concurrent Audit / Taxation, Stock audit and other assignments. A complete list of Organizations who Considered CMAs for Professional Services is available at PD Portal and updated regularly.

Significant Achievements:

Few of significant achievements of PD Directorate in this regard are highlighted below:

(i) Selection and Empanelment of Cost Auditor in Cooperative Sugar factories in Maharashtra- Commissioner of Sugar, Maharashtra has floated Tender inviting Expression of Interest (EoI) for empanelment of Cost Accountants/ Firms of Cost Accountants for Cost Audit in Cooperative Sugar factories in Maharashtra.

(ii) Based on our representation, The Reserve Bank of India (RBI) issued corrigendum and included the Cost Accountants in the Tender Notice for Tax consultant.

(iii) Indian Banks' Association included Cost Accountant Firms for empanelment to take up assignments relating to forensic audit of Frauds upto Rs.50 crores & Frauds above Rs 50 crores in the Banking Industry.

(iv) Cost Accountants are authorized to conduct financial audit of the Co-operative Societies in the state of Maharashtra vide Maharashtra Co-operative Societies (Third Amendment) Act, 2016.

(v) SEBI recognized Cost Accountant in the definition of "Valuer" and amended Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 and Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts), Regulations, 2014.

(vi) National Securities Depository Limited has updated its website to include Practicing Cost Accountants for registered e-intermediaries.

❖ **Representation to Ministry of Finance**

❖ **Representation to Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI)**

❖ **Representation to Ministry of Urban Development**

❖ **Meeting with Various Authorities for enhancing the scope of profession**

❖ **Seminars on Contemporary Topics:**

- ✓ Seminar on Accelerating Make in India Initiatives- Role of CMAs in Bikaner on 13th September, 2016.
- ✓ Seminar on GST in association with NIRC & Bikaner - Jhunjhunu Chapter on 29th May 2017 at Bikaner, Rajasthan.
- ✓ Seminar on Sugar Industry Technical & Cost Parameter on 19th January 2017 at Pune.
- ✓ National Conference on Sustainable infrastructure on 23rd March 2017 at Delhi.
- ✓ Seminar on Co-operative Audit 14th April 2017 at Thane.

❖ **Guidance Notes:**

- ✓ Guidance Note on the Concurrent Audit of Commercial Banks
- ✓ Monograph on Risk Based Internal Audit of Commercial Banks
- ✓ Monograph on Internal Audit of Treasury Functions of Commercial Banks

❖ **Comments/ suggestions on Various Rules/ Regulations issued by Ministries/ Regulators**

- ✓ Suggestions to SEBI
- ✓ Expression of Interest- Department of Fertilizers
- ✓ Comments/ suggestions on the Draft Regulation-Foreign Exchange Management (Cross Border Merger) Regulations, 2017
- ✓ Comments/ suggestions on draft Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) on Real Estate Transactions
- ✓ Feedback on Improved Tax Payer Services of Central Board of Direct Taxes, Government of India
- ✓ Petroleum and Natural Gas Regulatory Body (PNGRB)

❖ **Connecting with the Members**

8. Legal Department

Legal Department of the Institute facilitates the need of legal support to various Directorates and Departments of the Institute. The major activities of the department during the period 2016-2017 are as follows:

- ❖ Liaison/Co-ordination with Lawyers
- ❖ Empanelled Advocates, pan India basis
- ❖ Drafting of M O U and various Agreements
- ❖ Coordinating with chapters and other departments in property related matters
- ❖ Vetting of the tender terms and conditions
- ❖ Preparing/Vetting the draft replies to be sent in case of dispute.
- ❖ Assisting the concerned authority to liaison/ interacting with Ministry of Corporate Affairs, and other authority.
- ❖ RTI Matters

9. Human Resource Development

The success story of HR Department of any organization depend on part of its ability to retain, motivate and continue development of knowledge and skill of its human recourses. So for this year also our paramount importance was to develop the skilled work force equipped with more convenient and modern technologies. Competencies of the employees throughout the Institute including Regional Councils and Chapters have been strengthened through the targeted skilled based programme, which will be focusing mainly on improving communications and professional skills.

Further HR initiatives were aimed at grievance redressal and timely counseling of its internal customers. Review of organization strength at various Directorate and determination of staff strength through identification of required

strength vis-a-vis surplus etc. for harmonizing the Directorate requirements and availability and the initiatives so taken are expected to yield the desired result soon. Several initiatives were also taken in respect to employee engagement and to leverage of employee bonding.

10. Directorate of Research & Journal

- ✓ UGC Sponsored National Level Seminars
- ✓ UGC Sponsored International Conference cum Research Methodology Workshop was organized by the Institute in collaboration with the department of Commerce with Farm Management of Vidyasagar University based on the theme **'Emerging Issues in Accounting and Finance'**
- ✓ National Seminar on the theme **'Cost Competitiveness & Economic Growth', 'GST and Startups: India in the Making'**
- ✓ **'Social Priority Colloquium'** jointly organized by Indo-German collaboration of SOCEO Germany, Childfund Germany
- ✓ The Golden Jubilee Commemorative International Conference on **'Emerging Issues in Accounting, Finance and Taxation'** was organized by Research & Publication Cell, P.G Department of Commerce, Bhawanipur Education Society College, Kolkata in collaboration with the Institute.
- ✓ The Institute took the noble initiative to introduce **National Skill & Entrepreneurship Development Programme (NSEDP)** for the selective college and university students to promote entrepreneurship and skill development for creating self-employment through enterprise creation as a part of nation building process.
- ✓ A one - day national seminar cum career awareness programme on **'Management and Commerce Education and Beyond - The Professional Edge'** was held at Bipin Chandra Paul Seminar Hall, Assam University, Silchar.
- ✓ The Institute organized a **workshop on Goods and Services Tax (GST)** from 6 to 9th March 2017 at JN Bose Auditorium, Kolkata to impart training to the officers of the Accounts Department of Eastern Railway.
- ✓ Competition Commission of India (CCI) and the Institute signed a path-breaking MOU to develop a competition advocacy strategy. For the first time in Kolkata, a **Focused Group Discussion (FGD)** was organized.
- ✓ The 4th PHD Global Rail Convention- 2017 on the theme 'Indian Railways - **"Gati se Pragati in the Climate of Change"** was organized on April 26, 2017 at PHD House, New Delhi.
- ✓ The Institute organized a **Workshop on Goods & Services Tax (GST) for Eastern Railway** during 2nd to 5th May 2017 at Kolkata.
- ✓ A Discussion Meet on **'Impact Analysis of Goods & Services Tax (GST)'** was held on 6th May at EIRC Auditorium.
- ✓ The opening session at the 9th ICC Banking Summit 2017 titled **'Indian Banking System at the Crossroad of Reformation'** was organized on 19th May 2017.
- ✓ Motivational Session on **'Good Governance through Geeta and Ancient Scriptures'** was organized at EIRC Auditorium on 25th May 2017.
- ✓ The Institute organized a **Workshop on Goods & Services Tax (GST)** for the officials of South Eastern Railway.
- ✓ Publication of Quarterly "Research Bulletin" and monthly "The Management Accountant" journal on regular basis.
- ✓ The corporate database for posting complimentary copies to chiefs of Banks, RBI, IRDA, SEBI, Insurance companies and various other Industry leaders is being updated periodically. This helps us to improve the market positioning of our journal.
- ✓ We have started selecting quality and relevant articles for enriching the contents of the journal.
- ✓ As an endeavor to garner advertisements from companies and industries the Directorate has taken a drive by way of mails, phone calls and regular follow ups. This initiative has received a lot of responses too.

11. Information Technology Department

The IT platforms are used by the departments for efficiently performing their day-to-day operations and committees to reach out to members & students and disseminate knowledge. The IT Department of the Institute has taken a leap forward and is now using in-house manpower to maintain and build applications. This has helped not only in reducing the operational costs but also in achieving self-sufficiency.

Some of the initiatives of the IT Department this year are:

- ✓ An Online Human Resource Information System has been developed to help HR Department manage the employee database, attendance, leaves, out visits etc.
- ✓ Assisted Studies Department in updating applications and Students Website on launch of Syllabus 2016.
- ✓ Implemented installment facility in the Student Registration System for Online Admissions as well as admissions through RC & Chapters.
- ✓ Added a module in the Placement Section on website to allow companies to host their requirements and shortlist candidates online.
- ✓ Developed Event Website and online forms for registration integrated with payment gateway for various national events of the Institute.
- ✓ Assisted various Committees and Departments in conducting webinars. This year about 60 Nos. of webinars were conducted.
- ✓ Categorized and made available the webinar archive recordings in the Knowledge Bank on the website of the Institute.
- ✓ Designed and Developed online portal to enable students to buy books online.
- ✓ Assisted IPA of ICAI in registering a domain and developing & hosting its website.
- ✓ Assisted ICWAI MARF with developing online forms/ survey for various projects and collating the database.
- ✓ Assisted the departments and committees to communicate newsletter, information of interest to members and students through social media platforms, mass mail and mass SMS.
- ✓ Developed Online Registration form for "Model GST Law in India - Train The Trainers" along with integration of payment gateway (Debit/Credit Card & Net Banking).
- ✓ Developed Web based application for sending Birthday Wish via Email to the members & students of the Institute.
- ✓ Developed online registration form for National Conference on Sustainable Infrastructure 2017.

12. Continuing Professional Development Committee

Various initiatives have been taken

- ✓ Guidelines for Mandatory Training for all Members of the Institute under CEP
- ✓ Guidelines for CEP Study Circles for all Members of the Institute
- ✓ Capacity Building - Empanelment of Technical Experts for Programmes/Webinars
- ✓ Continuing Education Programmes
- ✓ Webinars
- ✓ Joint Programmes
- ✓ Study Circles

13. Certificate In Accounting Technicians (CAT)

The Institute has taken a firm and innovative step in developing skills among the youth in the important area of Accounting. In order to provide industry-ready candidates, the Institute has introduced a short-term employment oriented course – Certificate in Accounting Technicians (CAT) in the year 2008. The Institute has developed this course

after assessing the huge demand for well trained entry level accounting professional from the Industry. This Course has been developed in such a way to equip employable skills to the youth of this country. For example the GST has been included in our course curricula and this will meet the requirements of the market also. While the course has been offered in almost 400 centers across the country, the Governments of Kerala, Rajasthan and Andhra Pradesh have roped in the Institute, to offer its Certificate in Accounting Technicians Course as part of their Skill Development Programme to enhance the employable skills of youth in their State. Institute is also registered as Project Implementing Agency (PIA) for the various skill development projects offered under Deen Dayal Upadhaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU - GKY). The Institute is also organizing Campus Placement Programmes for the CAT students throughout the year.

14. Training & Placement Department

Practical Training Scheme which requires students to complete a mandatory of 6 months of training before appearing in final exams has enabled the students to become industry- ready while completing their final exam.

The progress of students registered for Training/exemption from Training during the year is:

No of Students registered for Training : 1670

No of Students exempted from Training : 1406

29 new companies empanelled during the last year for imparting practical training marking the total number to 700 till date. A Memorandum of Understanding has been extended with Food Corporation of India for a period of Five years for creating requisite skill set amongst the students of the Institute in the area of finance and accounting to meet the growing requirement of IT industry.

Campus Placement for the final qualified students is a continuous activity of the Institute in an endeavor to provide placement assistance to its qualified candidates twice every year. Year 2016-17 witnessed many new companies entering the arena of campus to look for their future managers from the pool of CMAs. 1180 students registered for this programme after their final results for attending this programme. The programme was held in 9 locations across India. Nearly, 3000 companies were approached to seek their future managers from our campuses. Corporates titans like BEL, HPCL, GAIL, L&T, ITC, Tata Motors, Nestle,Wipro, Vedanta, NLC, Saint Gobain, Reliance Industries, Godrej and Boyce, Ujjivan Financial and many others visited the campus. Majority of the final pass outs who opted for placement could find their future through this initiative.

15. Membership Department

Membership – A step forward in Digitization

Membership Department, guided by the Members Facilities and Services Committee, has taken up the endeavor to offer smooth online services to members and new applicants in terms of application, payments as well as request for updation. Members' Online System, on the Institute's website is updated on regular basis to offer state of the art online experience. Some of the special features introduced as:

- ✓ Waiver of convenience charges / bank charges in making online payments by Members
- ✓ Launching of e-mail facility for members and likewise

Online facility is available at *https://cmaicmai.in/MMS/Login.aspx?mode=EU*

- ❖ **Members Admitted**

YEAR	ASSOCIATE	FELLOW
2012-2013	1745	378
2013-2014	1906	366
2014-2015	2191	362
2015-2016	2039	382
2016-2017	1684	344

- **Benevolent Fund (MBF) for the members of the Institute:** The membership strength of MBF during the last 2 years has increased in each of the 4 regions.

16. Internal Control Department

(1) The Department prepared Expression of Interest and scope of audit for appointment of Internal Auditors of Head Office, Delhi office, two Region Councils and six Chapters with turnover exceeding Rs.25 lacs and also Statutory Auditors.

(2) Compilation of audit report of Regions and Chapters with management reply for both halves of FY 2016-17.

(3) Analysis of Tender Document as per Tender Guidelines dated 18th December, 2014.

(4) Vetting of various proposals of purchase originating from different departments, vetting proposal for appointment of contractual employees, determination of Brand Specific/Proprietary items and ensuring implementation of DOP.

17. International Affairs Department

- **Activities include:**
  - ✓ SAFA Events
  - ✓ CAPA Events
  - ✓ GCC CMA Summit
  - ✓ ACCA
  - ✓ IFAC
  - ✓ International Summit etc
- **Workshop at ICMA Bangladesh**
- **Joint Programme IOD-ACCA & ICAI**
- **MoU with CIPFA**
- **International Skill Development Corporation (ISDC)**

18. Disciplinary Directorate

i. Board of Discipline under Section 21A of the Cost and Works (Amendment) Act, 2006

The Board of Discipline has been constituted by the Council of the Institute under Section 21A of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006. Section 21A *inter alia* states that the Council shall constitute a Board of Discipline consisting of a person with experience in law and having knowledge of disciplinary matters and the profession, to be its Presiding Officer; two members one of whom shall be a member of the Council and the other member shall be the person designated under clause (c) of sub-section (1) of Section 16 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

The 11th meeting of the Board of Discipline was held on 18th May 2017 which was presided by CMA J.K. Puri, former President of this Institute. However, the said meeting was adjourned and the adjourned meeting was held on 30th June 2017. During the year under review, the Board of Discipline disposed off 06 (six) complaints.

ii. Disciplinary Committee under Section 21B of the Cost and Works (Amendment) Act, 2006

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of the Institute under Section 21B of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006. Section 21B *inter alia* states that the Council shall constitute a Disciplinary Committee consisting of the President or the Vice-president of the Council as the Presiding officer and two members to be elected from amongst the members of the Council and two members to be nominated by the Central Government from amongst the persons of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy.

During the period under review i,e., 22nd July 2016 till date, the Disciplinary Committee held 06 (six) meetings. They were held on 23rd December 2016, 18th January 2017, 3rd March 2017, 7th April 2017, 5th May 2017 and 27th June 2017

and considered a number of complaints and information under the provisions of the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigation of professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007. In dealing with these cases, the Disciplinary Committee had followed the principles of equity and natural justice and giving the parties an opportunity to be heard by attendance of Complainants/Respondents in person within the framework of the CWA Act and the rules framed thereunder. The Disciplinary Committee disposed off 07 (seven) complaints and 08 (information) information till date.

19. Directorate of Advanced Studies

The Directorate of Advanced Studies has been constituted by the Institute in order to provide advanced knowledge and specialized training on various topics of cost and management accountancy, including finance and other allied areas.

The Directorate is based at Hyderabad and devises, develops and delivers the advanced courses to the members of the Institute and strives for Capacity Building by designing and initiating specific Certificate/Post- Qualification courses in the areas falling under the domain of cost and management accountancy, finance and other allied areas.

The directorate of advanced studies has announced 2 batches of Advanced Diploma courses in the following areas till now.

1. Diploma in Business Valuation
2. Diploma in Internal Audit
3. Diploma in Information Systems Audit and Control

Directorate also conducts Management Accountancy examination which is an annual feature and held only in the month of December.

The Directorate is now mulling over introducing short term diploma courses for the benefit of members in the areas of contemporary interest. The modalities for the same are to be finalized. The Directorate of Advanced Studies is functioning under the able guidance, direction and supervision of the Board of Advanced Studies (BOAS).

20. Regional Council & Chapters Co ordination Committee

The Committee is comprised of seven Members. Its main function is to enhance coordination and to act as a bridge among the HQ, Regional Council & Chapters.

The Committee is, tasked with:

- Bridging the gap among Headquarter, Regional Councils & Chapters
- Improving operational efficiencies
- Encouraging Regional Council & Chapters to cooperate with compliance, rules & regulations of the Institute
- Proactively identifying issues and facilitating joint action on cross-cutting issues or issues of shared concern

The Committee held 3 internal Meetings, 4 Region wise Meets and 1 National Meet during the year 2016-2017 and deliberated on various relevant issues, as a result more than 230 (Two hundred & thirty) suggestions were received during the Meets.

The ATR of four Regional Council & Chapters Co ordination Meets conducted during the year 2016-2017 were circulated among all Regional Council & Chapters.

21. Taxation Research Committee

The taxation committee was formed in the month of July 2016, however there were considerable disputes regarding formation of the all the committee for the year 2016-2017. Taxation Committee executes its activities through Tax Research Department (TRD) of the Institute.

Major Objectives are -

1. Preparation of Guidance Note and Analysis of various Tax matters for best Management Accounting Practices.
2. The Department works for the professional development of the members of the Institute in the field of Taxation.

3. Conducting webinars, seminars and conferences etc. on various taxation related matters as per relevance to the profession.
4. Submit suggestions to the Ministry for the betterment of Economic growth of the Country.
5. Evaluating opportunities for CMAs to make effective value addition to the tax-economy

Some of the major activities undertaken by the TRD and submitted to Taxation Committee include:

(A) Technical Papers developed

(B) Representations made before and submitted to the MoF, GoI

(C) Conducting training programs for Revenue officials

(D) Connecting PAN India - for Capacity Building of Members

(E) Seminars conducted in association with Trade and Industry Associations

The committee undertaken unique program to develop the trainer under the flagship program "TRAIN THE TRAINER". Under this program the committee successfully undertook sessions across India for the members. By virtue of this flagship program, the committee successfully trained more than 350 members across India.

22. Skill & Entrepreneurship Development Cell

A path-breaking *MOU* has been signed on 10th February, 2015 by the The Institute of Cost Accountants of India with National Skill Development Agency (NSDA), an autonomous body of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Government of India, to enable offering various collaborative activities to promote and encourage skill and entrepreneurship development in India.

The Institute is carrying out National *Skill & Entrepreneurship Development Programme (NSEDP)* with three colleges in West Bengal, namely *Mahadevananda Mahavidyalaya*, *Barrackpore*; *Chakdaha College and Ramnagar College, Purba Medinipur* since March 2017. This initiative has been supported by *Hindustan Aeronautics Ltd.,* Helicopter Division, *Barrackpore* through its CSR activities. Proposal for financial assistance through CSR Route was also been forwarded to Damodar Valley Corporation (DVC) for carrying out NSEDP programme pan-India basis.

NSEDP Seminars held at various colleges across West Bengal in association with the Institute**.**

23. Career Counselling Cell

To acquire sound knowledge and be able to pursue a bright professional career in Cost & Management Accountancy, career counselling sessions are conducted regularly at the schools/colleges/universities pan India basis.

Career Counselling Programmes: Statistics in a nutshell

- ✓ Total no. of programs conducted during 2016-2017 - 875 (app.)
- ✓ Regional Councils conducted 115 programs (app.)
- ✓ Chapters conducted 460 programs (app.)
- ✓ More than 500 programs conducted during the month of November 2016 – the Career Counselling Month

24. President's Office

President's office at Delhi and Kolkata facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with departments of the Institute and external agencies. It may not be involved with the activities directly but indirectly there are many actions taken by the President's Office for the ease of coordination. The department also carried out various tasks, jobs and assignments assigned by Council Members, Past Presidents and Higher Officials of the Institute. Some of the key initiatives are as follows:

- ✓ Coordination for IEC Meetings
- ✓ Global Summit 2016
- ✓ Compilation of Booklet on GST Day celebrations by the Institute
- ✓ Compilation of Booklet on Institute initiatives on Demonetization

- ✓ Correspondence with Ministries, Government Departments and agencies
- ✓ Technical Support to President & Vice-President
- ✓ Support to all major events of the Institute

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Council of The Institute of Cost Accountants of India

Report on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2017

1. We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Cost Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017, the Income & Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated the accounts of Headquarters, reflecting total assets of Rs. 162.19 Crores and total revenue of Rs. 51.18 Crores (net of inter – region/ chapter transactions) audited by us having been appointed by the Council of the Institute. The audited accounts of 4 Regional councils namely NIRC, EIRC, WIRC and SIRC reflecting total assets of Rs. 37.04 crores (and total revenue of Rs. 2.95 crores) audited by other auditors have also been incorporated.

It further includes Financial Statements of 92 Chapters, including the accounts of 3 Chapters which have not been signed by respective Auditors, reflecting total assets of Rs. 89.90 Crores (92 Chapters) and revenue (including reimbursement) of Rs. 19.48 Crores (83 Chapters), audited by auditors, appointed by the respective Regional Councils and Governing Bodies of the Chapters in terms of regulation 133 of the ICWA Regulation 1959, and clause 26 of the Chapter By-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management of the Institute. 3 Chapters which have not been signed reflecting total assets of Rs.0.18 Crores and revenue of Rs.0.08 Crores.

Consolidated Financial Statements does not include audited accounts of 9 chapters for which audited accounts have not been received. Balance Sheet figures in this respect of latest audited accounts as detailed below have been incorporated:—

Sl. No.	Name of the Chapter	Last Audited Accounts included for consolidation purpose in the Financial Year 2016-17
1	Jabalpur	Year 2015-16
2	Jajpur-Keonjhar	Year 2015-16
3	Talcher-Angul	Year 2015-16
4	Bhadravati Simoga	Year 2015-16
5	Pondicherry	Year 2015-16
6	Agra Mathura	Year 2015-16
7	Ghaziabad	Year 2013-14
8	Naya Nangal	Year 2015-16
9	Noida	Year 2015-16

Consolidated Financial Statements 2016-17 of the Institute includes 80 Audited Chapters out of which 20 chapters Audited by Chartered Accountants and 60 Chapters Audited by Cost Accountants.

2. Managements Responsibility for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls,

that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditor's Responsibility

3.1 Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our Audit. We conducted our Audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

3.2 An Audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the Auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Institute's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Institute has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An Audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion read with our observation made in Para 1 above and observations given in Para 4 & 7 below.

4. Basis for Qualified Opinion

4.1 In respect of Freehold and Leasehold Land & Building valued at Rs. 57.73 lacs pertaining to 7 chapters and 1 regional Council, no deed of conveyance was made available for our verification. Original deed of conveyance of Freehold and Leasehold Land & Building in the name of the Institute at Rs. 107.99 lacs, pertaining to 3 regional councils and 10 chapters were not produced. 15 properties valuing Rs. 183.4 lacs are in the name of the Chapters in contravention of Regulations, 85(1)(e) & 99(f) of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, inclusive of 13 properties valued at Rs. 172.08 lacs for which original deeds of conveyance were not produced.

4.2 The original title deed of land and building pertaining to Indore Dewas Chapter is not in the possession of the new committee as the same have not been handed over to them. Electric meter is also not in the name of chapter. The Indore Municipal Corporation (IMC) has not raised any property tax bill in the name of the Institute since acquisition of the property.

4.3 No confirmations have been received from Regional Councils and Chapters against an amount of Rs. 93.27 lacs shown under Current Accounts and Chapters.

4.4 In Eastern India Regional Council (EIRC) Capital W.I.P of Rs.1,60,44,103 has been shown in the Balance sheet since 2014-15 although the said items were already put to use during the year F.Y. 2015-16. No depreciation has been provided on such addition. This has the effect of understatement of Revenue Expenses and overstatement of Fixed Assets, the quantum of which has not been determined.

4.5 The Institute has accounted liability for Gratuity and Leave Encashment on payment basis.

The impact of accounting of Gratuity and Leave Encashment on payment basis cannot be

readily ascertained and quantified at this moment.

5. Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, subject to our observation made in paragraph 1 above and except for the possible effects of the matters described in Para 4 for the 'Basis for Qualified Opinion Paragraph' and Para 7 below regarding not taking registration with Employees State Insurance Corporation (ESIC) for the employees whose total Salary is upto Rs.21,000/-, read with significant accounting policies and notes on accounts as given in Schedule 16, the financial statements of The Institute of

Cost Accountants of India for the year ended March 31,2017 give the information in the manner so required and give a true and fair view, in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Institute as at March 31,2017;

b. In the case of the Income & Expenditure Account, of excess of Income over Expenditure for the year ended on that date;

c. In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

6. Emphasis of Matter

We draw attention to the following matters which describes uncertainty relating to the financial statements of the Institute. Our opinion is not qualified is respect of these matters.

6.1 Western India Regional Council (WIRC) :

6.1.1 Attention is drawn to Claims receivable Rs. 21,58,741/- and Claims Receivable from FDAPL Rs. 67,30,000/- in Schedule- 'F' of Current Assets are equally represented by Claims Suspense 2013-14 Rs. 20,77,565/-. Claims Suspense 2014-15 Rs. 81,176/- and Claims Suspense FDAPL Rs. 67,30,000/- in Schedule - 'D' of Current Liabilities outstanding since 31/03/2015 signifying the uncertainty of the Claim amount.

6.2 Eastern India Regional Council (EIRC) :

6.2.1 The EIRC had a Lease agreement with State Bank of India (SBI), Harish Mukherjee Road Branch, Kolkata- 700025. The Lease agreement expired on 31.02.2012 and the same had not been renewed. The EIRC has not received rent from the SBI since the expiry of the lease deed.

6.2.2 In 2014-15, the Institute appointed a firm of Chartered Accountant to conduct a special Audit in reference to the qualifications made by the previous auditor on the Financial Statement for the year ended 31.03.2014. The special Auditor's Report has been considered by an Implementation Committee appointed by the Council who has pointed out that various important files and document were missing from the office of the EIRC and recommended that FIR be lodged with the Police for appropriate investigation and action including explanations to be called for from the EIRC and its immediate past Chairpersons regarding missing files, documents and the circumstances under which payments amounting to Rs. 51.34 lacs were made without written approval from the competent authority and required documents. Various recommendations and the actions proposed to be taken in this regard and are in the process of being implemented.

6.3 Northern India Regional Council(NIRC) :

6.3.1 Based on the decision taken in the EC meeting held on date 6th October, 2015 at NIRC and further confirmed by Regional council meetings held on date 22/11/2015, 27/11/2015 and 25/05/2016 respectively, a Debit note amounting to Rs. 41.44 Lacs had been raised on the then Chairman for the year 2014-15.

The Regional council in its meeting dated 31.05.2017, decided to file a recovery suit for an amount of Rs. 41.44 lacs plus Interest charged @12% p.a. (Rs. 3.31 Lacs) totaling to Rs. 44.75 Lacs from the date of such money becoming recoverable from the then chairman for the year 2014-15 has not been booked in revenue account, as a claim for such recoveries has been filed with the Hon'ble Delhi High Court and the decision is pending.

Such incorporation of NIRC accounts inclusive of the said debits are subject matter of a writ petition filed before the Hon'ble High Court of Delhi mentioned herein before. Hence the whole matter is sub-judice.

6.4 The Headquarter of the Institute has taken steps to systematize various control measures, but during the course of Audit, Internal Control was found to be deficient in several areas such as, Loans given by the RC's to chapters, keeping of high cash balances, non – submission of budgets by some chapters, expenditure incurred exceeding the budget, non – deduction of tax at source on various payments and no comment on

compliance of Provident Fund and ESI contribution etc. by the Chapter/Regional auditors. Internal Control needs to be substantially strengthened in terms of compliance of legal and regulatory requirements.

7. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Institute has not taken registration with the Employees State Insurance Corporation (ESIC) for the employees whose total Salary is upto Rs. 21,000/-.

Subject to above we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit, except in case of a few small chapters,

b. In our opinion proper books of account as required by Law have been kept by the Institute of Cost Accountants of India so far as appears from our examination of those books (and proper returns adequate for the purpose of our Audit have been received from the Regions and Chapters not visited by us, unless otherwise stated in Paragraph 1 above);

c. The reports on the accounts of the regional and chapter offices of the Institute audited by the auditors of respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report;

d. Subject to our Observation in Para 1, 4 and Para 6 above the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and the returns received from the regions & chapters not visited by us.

For B M CHATRATH & CO LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

Date:16 September, 2017

CA Sanjay Sarkar
Partner

Place: Kolkata

Membership Number: 064305

The Institute of Cost Accountants of India

Balance Sheet as at 31st March,2017

Previous Year 2015-16	PARTICULARS	SCH. NO.	Current Year 2016-17	
Rs.			Rs.	Rs.
	INSTITUTE FUND :			
2,554,268,869	General Fund	(1)		2,615,711,488
1,531,916	Employees' Gratuity Fund	(2)		1,127,361
7,599,950	Misc. Prize Fund	(3)		7,954,857
32,679,007	Other Funds	(4)		24,212,577
2,596,079,742	**TOTAL**			**2,649,006,283**
	REPRESENTED BY :			
	Fixed Assets :	(5)		
1,067,824,092	a) Gross Block		1,145,094,330	
370,773,369	b) Less Depreciation		428,929,593	
697,050,723	c) Net Block			716,164,737
161,156,897	Capital Work In Progress			122,344,524
500	Investment	(6)		110,050,750
1,879,358,194	Current Assets	(7)	1,873,725,539	
45,585,371	Loans & Advances	(8)	32,226,319	
1,924,943,565			**1,905,951,858**	
187,071,943	Less : Current Liabilities & Provisions	(9)	205,505,586	
1,737,871,622	**NET CURRENT ASSETS**			1,700,446,272
2,596,079,742	**TOTAL**			**2,649,006,283**
	Notes to Accounts	(15)		
Schedules referred to above form part of the Accounts				

As per our report attached.

For **B.M.Chatrath & Co. LLP**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. : 301011E/E300025

CMA Arup Sankar Bagchi
Director(Finance)

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

CA Sanjay Sarkar
Partner
Membership No. : 064305

CMA H.Padmanabhan
Vice President

CMA Sanjay Gupta
President

Kolkata
Dated : 16.09.2017

The Institute of Cost Accountants of India

Income And Expenditure Account
for the year ended 31st March,2017

Previous Year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Sch. No.	Current Year 2016-17 Rs.
	INCOME :		
36,397,166	Membership & Other Fees	(10)	47,114,277
459,296,119	Tuition & Other Fees	(11)	444,125,764
175,566,662	Examination & Other Fees	(12)	148,853,612
21,601,223	C. P.D & Other Programme Fees		16,682,735
1,294,969	Journal Subscription incl. Advertisement		1,109,420
1,461,828	Sale of Publication		686,242
129,611,577	Interest		122,141,986
6,703,271	Other Income		7,254,280
831,932,815	**Total :**		**787,968,316**
	EXPENDITURE :		
246,893,494	Establishment	(13)	242,462,674
128,372,157	Office Expenses	(14)	105,129,729
1,387,795	Statutory Audit Fees		1,507,166
14,425,231	Travelling & Conveyance		11,455,051
109,891,100	Examination Expenses		98,370,855
26,816,467	Council & Committee Meeting Expenses		22,965,914
18,114,217	Election Expenses incl. Tribunal		-
19,805,127	Journal Expenses		16,496,887
9,230,410	Membership Subscription To Foreign Bodies		7,639,448
4,344,466	Conference & Meeting International		2,416,403
33,820,756	C. P.D, Technical Skill Development & Other Programme Expenses		20,917,244
8,997,360	Professional Development Expenses		12,760,561
119,375,788	Coaching Expenses		108,244,992
39,900,457	Study Materials & Prospectus Consumed		18,809,305
467,014	Publication Stock Consumed		359,145
633,360	Sundry Assets Written Off (Stock & Debtors)		4,005,128
-	Doubdtful debt (Sundry debtor)		300,226
73,788,184	Depreciation	(5)	69,054,319
856,263,383	**TOTAL**		**742,895,047**
(24,330,568)	**Balance being excess of Income over Expenditure c/d**		**45,073,269**
Previous Year 2015-16 Rs.	**PARTICULARS**	**Sch. No.**	**Current Year 2016-17 Rs.**
(24,330,568)	**Balance being Surplus/(deficit) of Expenditure over Income b/d**		**45,073,269**
(1,123,803)	Prior Period Adjustment (Net)	(14A)	(4,816,432)
(25,454,371)	**Balance being Surplus/(deficit) of Expenditure transferred to General Fund**		**40,256,837**
	Notes to Accounts	(15)	
	Schedules referred to above form part of the Accounts		

For **B.M.Chatrath & Co. LLP**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. : 301011E/E300025

CMA Arup Sankar Bagchi
Director (Finance)

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

CA Sanjay Sarkar
Partner
Membership No. : 064305

CMA H.Padmanabhan
Vice President

CMA Sanjay Gupta
President

Kolkata
Dated : 16.09.2017

The Institute of Cost Accountants of India

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS as at 31st March,2017

SCHEDULE NO.1 : GENERAL FUND

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.	Rs.
2,577,403,797	Balance as per Previous Balance Sheet		**2,554,268,869**
	Add :		
1,358,705	i) Capitalization of Chapter's Land & Building	21,213,423	
253,022	ii) Transfer from Library Fund	(2,478,275)	18,735,148
2,579,015,524			**2,573,004,017**
	Less :		
	i) Adjustment against		
1,915,393	Stock of Study Material & Prospectus		-
2,577,100,131			**2,573,004,017**
2,623,109	Add : Entrance Fees (Member)		2,450,634
2,579,723,240			**2,575,454,651**
(25,454,371)	Add : Net Surplus for the year as per Income & Expenditure Account		40,256,837
2,554,268,869	**Total**		**2,615,711,488**

SCHEDULE NO. 2 : EMPLOYEE S' GRATUITY FUND

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
2,308,288	Balance as per Previous Balance Sheet	**1,531,916**
355,035	Add : Contribution for the year	325,892
2,663,323		**1,857,808**
119,770	Add : Interest earned on Fixed Deposit of Fund for the year	71,971
-	Less : Amount Paid to Trust	-
1,251,177	Less : Gratuity paid to Employees' during the year	802,418
1,531,916	**Total**	**1,127,361**

SCHEDULE NO. 3: MISC. PRIZE FUND

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
6,270,924	Balance as per Previous Balance Sheet	**7,599,950**
592,299	Add : Addition during the year	153,688
951,461	Add : Income credited during the year	625,060
(214,734)	Less : Cost of the prize	(423,841)
7,599,950	**Total**	**7,954,857**

SCHEDULE NO. 4: OTHER FUND

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
370,550	Building Fund	3,032,683
761,488	Library Fund	3,213,883
31,546,969	Misc. Fund	17,966,011
32,679,007	**Total**	**24,212,577**

The Institute of Cost Accountant of India

SCHEDULE NO. 5 : FIXED ASSETS

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.16	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment of Fixed Assets during the period	Total as on 31.03.2017	Upto 01.04.2016	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment of Fixed Assets during the year	Upto 31.03.2017	This year 2016-17	Last year 2015-16
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
Tangible Assets :										
FREEHOLD LAND	155,719,840	4,800,980	(1,546,800)	158,974,020	-	-		-	158,974,020	155,719,840
LEASEHOLD LAND	64,641,546		(210,296)	64,431,250	5,735,966	832,057	(210,295)	6,357,728	58,073,522	58,905,580
FREEHOLD BUILDING	572,946,383	50,382,806	-	623,329,189	196,704,007	42,700,090	(209,854)	239,194,243	384,134,946	376,242,376
FURNITURE & FITTINGS	68,617,478	6,642,201	(146,710)	75,112,969	29,622,132	4,753,146	(2,313,404)	32,061,874	43,051,095	38,995,346
LIBRARY BOOKS	11,939,652	640,997	-	12,580,649	11,939,652	648,240	(7,243)	12,580,649	-	-
OFFICE EQUIPMENTS	73,560,394	14,020,468	(518,045)	87,062,817	34,924,874	8,311,160	(3,919,952)	39,316,082	47,746,735	38,635,520
GENERATORS	12,394,665	2,452,078	-	14,846,743	4,185,810	1,463,094	717,819	6,366,723	8,480,020	8,208,855
LIFT	11,058,273	3,004,860		14,063,133	3,261,627	1,617,748	(1)	4,879,374	9,183,759	7,796,646
MOTOR CAR	510,460		(3,407)	507,053	403,993	15,969	(3,406)	416,556	90,497	106,467
COMPUTER	54,985,290	447,924	(1,651,504)	53,781,710	51,279,118	3,028,586	(2,833,185)	51,474,519	2,307,191	3,706,172
CYCLE	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
Intangible Assets :										
SOFTWARE	41,441,743	-	(1,045,314)	40,396,429	32,707,822	5,684,229	(2,118,574)	36,273,477	4,122,952	8,733,921
	1,067,824,092	**82,392,314**	**(5,122,076)**	**1,145,094,330**	**370,773,369**	**69,054,319**	**(10,898,095)**	**428,929,593**	**716,164,737**	**697,050,723**
Previous Year	**1,022,411,687**	**36,667,587**	**8,546,764**	**1,067,824,092**	**297,372,834**	**73,788,184**	**(387,649)**	**370,773,369**	**697,050,723**	**725,038,853**
Capital-work in Progress (including Capital Advance Rs 1,85,28,800)									**122,344,524**	**161,156,897**

The Institute of Cost Accountants of India

SCHEDULE NO. 6 : INVESTMENT (AT COST)

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
500	50 Shares of Rs.10/- each inRohit Chambers Premises Co-operative Society Limited,Mumbai(earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	500
-	Investment in Insolvancy Professional Agency of ICAI(1,10,00,000 Nos. of paid up shares of Rs.10 each)	110,000,000
-	- Others	50,250
500	**TOTAL**	**110,050,750**

SCHEDULE NO. 7: CURRENT ASSETS

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.	Rs.
	Stock :		
997,909	- Publication Stock (at Cost)		1,211,418
3,934,459	- Paper Stock (at Cost)		902,622
10,976,891	- Study Material incl.Prospectus Stock (at Cost)		7,587,888
2,140,707	- Stock of Other Material (at Cost)		1,114,196
15,360,426	Sundry Debtors	20,212,200	
-	Less : Provision for Doubtful Debtors	251,025	19,961,175
82,549,815	Other Receivables		78,931,751
	Cash and Bank Balances :		
1316410	Cash in hand		1,347,465
-	Postage Stamp in hand		-
	Cheques in hand		
	Balances with Scheduled Banks :		
58,883,270	On Current Account		123,805,440
45,124,772	On Savings Account		44,286,737
1,658,073,535	**Fixed Deposits with Banks :**		1,594,576,847
1,879,358,194	**Total**		**1,873,725,539**

SCHEDULE NO.8: LOANS AND ADVANCES

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
28,337	Building Loan to Employees	133,457
221,078	Vehicle Purchase Advance to Employees	21,170
7,862,262	Other Advances	6,804,570
557,220	Festival Advance to Employees	578,545
6,663,330	Advance Membership Subscription to Foreign Bodies	-
22,738,743	TDS Receivable	17,618,388
1,958,450	Prepaid Expenses	1,945,472
5,555,951	Deposit	5,124,717
45,585,371	**Total**	**32,226,319**

SCHEDULE NO.9: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
Current Liabilities :		
7,743,955	Library Deposit	3,383,979
39,374,527	Sundry Creditors	28,889,142
10,216,735	Current Account with RC & Chapter	9,705,194
114,704,074	Other Liabilities	149,544,952
3,797,835	TDS Payable	4,376,869
11,234,817	Provisions	9,605,450
187,071,943	**Total**	**205,505,586**
PROVISIONS:		
	Head Quarters	
40,000	- Grants to Co-operative Credit Society	40,000
	Provision for Expenses	
1,476,704	- SIRC	1,460,879
(35,766)	- NIRC	528,579
4,282,400	- WIRC	3,290,407
5,471,479	- Chapters	4,285,585
11,234,817	**Total**	**9,605,450**

SCHEDULE NO.10: MEMBERSHIP & OTHER FEES

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
28,284,388	Annual Membership Fees	38,888,902
6,269,910	Members Certificate of Practice Fees	6,664,511
49,555	Grad C.W.A. Fees	17,875
339,478	Members Complaint / Restoration Fees/N	166,147
8,500	Certified Facilitation Centre Fees	18,500
1,421,335	Membership & Certification Fees - IMA(US	1,329,342
24,000	Certificate of Good Standing	29,000
36,397,166	**Total**	**47,114,277**

SCHEDULE NO.11: TUITION AND OTHER FEES

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
12,165,000	Student Registration Fees	12,901,000
5,867,687	Practical Training Registration Fees	8,627,000
2,040,988	Practical Training/Subject Exemption Fees	1,793,057
386,807,086	Tuition Fees	367,253,048
29,855,418	CAT Course Income	37,533,254
6,779,141	Revalidation of Coaching Completion Cert	7,911,599
2,521,738	Sale of Prospectus	1,652,661
13,255,961	Sale of Study Notes	6,454,010
3,100	Sale of Postal Coaching,Revalidation & De	135
459,296,119	**Total**	**444,125,764**

SCHEDULE NO.12: EXAMINATION AND OTHER FEES

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
172,532,865	Examination Fees	145,939,984
2,922,000	Verification of Answers Paper Fees	2,893,250
120	Sale of Suggested Answer including Scanr	-
111,677	Sale of Exam. Forms	20,378
175,566,662	**Total**	**148,853,612**

SCHEDULE NO.13: ESTABLISHMENT

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
198,845,872	Salaries & Allowances	195,858,002
3,603,612	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	3,229,843
19,054,804	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	17,633,865
3,204	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	2,836
8,480,557	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	9,636,911
4,268,315	Employees' Leave Encashment - Existing	4,932,664
6,852,387	Medical Expenses	6,562,929
1,011,992	Leave Travel Allowance to Employees	475,331
1,326,516	RPFC Administration & E.D.L.I. Inspection Charges	810,193
3,446,235	Training & Development (H.R.D.)	3,320,100
246,893,494	**Total**	**242,462,674**

SCHEDULE NO.14: OFFICE EXPENSES

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
7,523,628	Printing & Stationery	6,326,095
11,717,895	Postage,Telegrams,Telephones & Fax	11,385,214
3,356,725	Internal Audit Fees	1,971,767
10,434,457	Electricity Charges	9,722,381
230,025	Generator Expenses	166,920
8,023,301	Rates & Taxes	9,721,064
894,406	Insurance	1,128,223
10,965,646	Repair & Maintenance	9,762,886
1,650,465	Car Expenses	1,206,985
7,820	Interest on Caution Money Deposit	10,470
6,179,600	Legal Charges	2,560,470
181,482	Bank Charges	234,646
4,366,606	Computer Maintenance Expenses	2,977,436
13,747,339	Public Relation Expenses	2,279,978
4,629,463	Watch & Ward Expenses	1,900,030
624,567	Books & Periodicals	460,174
347,314	Delegate Fee	122,047
105,350	Gazette Notification	340,845
2,415,624	Staff Welfare	2,434,231
8,892,344	Rent	7,767,748
24,979,539	Administrative Charges	28,971,472
7,098,561	Sundry Expenses	3,678,647
128,372,157	**Total**	**105,129,729**

SCHEDULE NO. 14A: PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

Previous year 2015-16 Rs.	PARTICULARS	Current year 2016-17 Rs.
	Prior Period Income	
4,221,656	HQ	194,041
-	WIRC	1,087,416
105,063	EIRC	-
2,874	NIRC	14,628
290,999	Chapters of WIRC	307,595
204,415	Chapters of SIRC	42,190
32,927	Chapters of EIRC	96,000
83,900	Chapters of NIRC	285,661
4,941,834	**Total (A)**	**2,027,531**
	Prior Period Expenses	
4,576,165	HQ	6,219,341
-	WIRC	-
-	SIRC	-
331,500	EIRC	7,135
117,808	NIRC	97,703
141,842	Chapters of WIRC	422,958
841,282	Chapters of SIRC	4,018
55,660	Chapters of EIRC	37,600
1,380	Chapters of NIRC	55,208
6,065,637	**Total (B)**	**6,843,963**
(1,123,803)	**PRIOR PERIOD ADJUSTMENT (A-B)**	**(4,816,432)**

The Institute of Cost Accountants of India

CASH FLOW STATEMENT AS ON 31.03.2017

Previous Year 2015-16 Rs	PARTICULARS	Current Year 2016-17 Rs	Rs
	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
(25,454,371)	NET SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	40,256,837	
73,788,184	ADD- DEPRECIATION	69,054,319	
48,333,813	**OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES**	**109,311,156**	
19,978,409	INCREASE/DECREASE IN CURRENT LIABILITIES	18,433,643	
(16,588,900)	INCREASE/DECREASE IN CURRENT ASSETS	(19,610,209)	
36,567,309		**38,043,852**	
84,901,122	**NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES**		**147,355,008**
	CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
95,125,818	PURCHASE OF FIXED ASSETS	38,457,865	
-	INCREASE IN INVESTMENT	110,050,250	
95,125,818	**NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES**		**148,508,115**
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
23,929,805	INCREASE IN CAPITAL	1,771,609	
23,929,805	**NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES**		1,771,609
13,705,109	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT**		**618,502**
1,749,692,878	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		1,763,397,987
1,763,397,987	**CASH & CASH EQUIVALENT AS AT 31.03.2017**		**1,764,016,489**

1,316,410	Cash	1,347,465
1,658,073,535	Fixed Deposit	1,594,576,847
58,883,270	Bank Balance - Current A/c	123,805,440
45,124,772	Bank Balance - Savings A/c	44,286,737
1,763,397,987		**1,764,016,489**

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

Schedule – 15

A. Significant Accounting Policies:

1. Basis for preparation of Financial Statements :

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, the applicable Accounting Standards, the relevant provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959, as amended and are on accrual basis unless otherwise stated.

2. Basis of Consolidation

The financial statements of Headquarters (Kolkata) and New Delhi office and its four Regional Councils and ninety two Chapters are consolidated by adding together the value of assets and liabilities, income and expenses after eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/deficit. Necessary adjustments are made wherever required.

3. Entrance Fee

Entrance Fee received from members is capitalized.

4. Registration Fee

Registration Fee received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled.

5. Revenue Recognition :

The Institute recognizes significant items of income on the following basis:-

(a) Members' Subscription

Membership Subscription is recognized in the year to which it pertains.

(b) Tuition and other Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled**.**

(c) Sale of Publication

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

(d) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term(s) to which it pertains.

(e) Others

Revenue from Programme Fee is recognized as and when such activity is undertaken.

(f) Interest

Income from interest for the year due on Fixed Deposit with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount outstanding and the applicable rate.

(g) Income from Investments is recognized as and when the right to receive the payment is established.

6. Expenditure:

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

(i) The Annual Grants to Chapters are recognized as and when disbursed.

(ii) Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

7. Fixed Assets:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost comprises the purchase price and any other cost attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. Assets under creation are shown as capital work-in-progress.

8. Depreciation/Amortization :

(a) Depreciation on Fixed Assets is provided on written down value method as per Income Tax Act, 1961.

(b) Book Value of Leasehold land including premium paid thereon are amortized over the Lease period. The ground rent if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.

(c) Library books are depreciated at 100% in the year of purchase.

9. Investments :

Long term investments are stated at cost. However, when there is a decline other than temporary, in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

10. Inventories :

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at Cost or Net Realizable Value whichever is lower. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on weighted average basis and cost of paper is determined on first-in-first-out basis.

11. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(i) A provision is recognized:-

(a) When there is present obligation as a result of past event;

(b) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and

(c) A reliable estimate can be made of the amount of obligation.

(ii) No provision is recognized for:

(a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;

(b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

12. Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the period in which it arises.

13. Employee Benefits:

i) Short term benefit:

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

(ii) Post employment benefit such as P.F, Gratuity, Leave Encashment etc. are provided as applicable to Head Quarter, respective Regional Councils and Chapters.

14. Impairment of Assets :

At the Balance Sheet date impaired assets, if any are identified and necessary provision as required is made.

15. Prior Period income/expenditure:

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Income & Expenditure Account.

B. Notes forming part of Accounts

1. The consolidated financial statement is prepared considering Head Quarter Kolkata, New Delhi office, four Regional Councils and Eighty Three chapters. Accounts of Jabalpur, Jajpur-Keonjhar, Talcher-Angul, Bhadravati Simoga, Pondicherry, Agra Mathura, Ghaziabad, Naya Nangal and Noida Chapters not included having not received. However previous year balance sheet figures of these chapters have been considered for consolidation (refer – Annexure 1).
2. Assets and Liabilities of Jhagrakhand Chirimiri,Korba, Konkon, Silchar and Chardrapur chapter have been merged with the Institute since this chapters are dissolved.
3. Exemption in respect of Income Tax has been granted u/s 10(23A) read with Section 11 of the Income Tax Act,1961. As such no provision for Income Tax has been made. No provision for Deferred Tax Asset and Liability is considered necessary.
4. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investment in Fixed Deposit thereof. The funds have been sponsored by the different donors.
5. Fixed Deposit of Rs. 159,45,76,847 includes Rs.37,27,420/- for Misc prize and other fund.
6. Other Advances include Rs. 1,36,097/- (previous year Rs.1,36,097/-) due from former Council Member owing to disallowances by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice.
7. Statutory Audit Fees includes:-

Statutory Audit Fees (HQ)	Rs.4,89,346 /-
	Rs.4,89,346/-

8. **(i) Headquarters**

    1. Provident Fund contributions are made to the Institute of Cost Accountants of India Employees Provident Fund Trust.
    2. The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act,1972 (as amended) is Recognized on the basis of contribution made to the LICI against the Group Gratuity Policy.
    3. The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LICI.
    4. Fixed Deposit of Rs.66,23,59,364/- includes Rs.29,18,957/- for Misc prize and other fund.
    5. The Institute has made investment of Rs. 11.00 Crores (1,10,00,000 Nos. of Shares of Rs.10/- each) as per the Resolution passed in the 303rd Meeting of Council held on 17th & 18th March, 2017. The Investment has been made to incorporate wholly owned company under section 8 of the Companies Act 2013 to be registered at Delhi as Insolvency Professional Agency under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 by subscribing the Memorandum of Associations and Articles of Associations of such Company.
    6. An amount of Rs.22,00,000/- has been paid to IPA towards incorporation and allied expenses to be receivable from them.

    (ii) WIRC

    The Institute fund of Rs.10,87,416/- has been transferred to Income & Expenditure Account as prior year adjustment as the said amount has already spend on purchase of Books and furniture and the value of Books and Furniture has already been depreciated over the period of time. The said amount has been treated as prior

period adjustment in the current year income and expenditure accounts and same has been transferred to WIRC Corpus Fund

(iii) SIRC

1. FD deposit with CBI to the tune of Rs 8,46,436/- have been year marked towards closing balance of endowment/memorial funds , Building development Fund etc
2. In the FY 2016-17 Library Deposit reaming unclaimed beyond three years amounting to Rs 32200/- for the card numbers from 12100 to 12187 has been transferred to Regional Council Fund. In the event of any refund arising in the future it will be paid from the fund.

(iv) EIRC

1. An amount of Rs 7135/- being PPF of ii (Two) employees payable in the last year has been paid in the current year has treated as prior period expenses.
2. Out of sundry debtors Rs 12,71,939/- as on 31.3.2017, Rs 947729/- remain unrealized for more than three years.
3. Advance of Rs 13,69,101/- of various parties reaming unrealized.
4. EIRC deposited Rs 20,00,000/- being Gratuity amount of two retiring employees during the year. Payments were made to them out of that fund only. Actuarial valuation on gratuity amount from LIC to be collected for the FY 2016-17.
5. An amount of Rs.1,60,44,103/- is lying from the previous year in CWIP pertaining to renovation expenditure incurred in FY 2012-13 & 2013-14 for EIRC premises. Accordingly no depreciation has been provided pending decision on capitalization
6. The EIRC had a lease agreement with SBI, Harish Mukherjee Road Br. The Lease agreement expired on 31.12.2012 and EIRC had not renewed it. Repeated requests by EIRC to SBI to vacate the premises have not yielded any result. EIRC has not received rent from SBI since expiry of lease deed.

(v) NIRC

1. Based on the decision taken in the EC meeting held on Dt. 6th October 2015 at NIRC and further confirmed by Regional Council Meetings held on Dt. 22.11.2015, 27.11.2015 and 25.05.2016 respectively, a debit note amounting to Rs41,44,422 had been raised on the then Chairman Sh. Vijender Sharma for the year 2014-15.

   The Regional Council in its meeting dated 31.5.2017, decided to file a recovery suit for an amount of Rs. 41,44,422/-plus interest charged @12% p.a. (Rs. 3,31,554) totaling Rs. 44,75,976/- from the date of such money becoming recoverable from Sh. Vijender Sharma then chairman for the year 2014-15 has not been booked in revenue account, as a claim for such recoveries has been filed with the honorable Delhi High Court and the decision is pending.

2. An amount of Rs. 24,78,275/- in respect of library security lying unclaimed since September 2014, in respect of library security deposited by students for availing library services, has been forfeited as per decision of the regional council and transferred to Library fund account, as a period of more than 2 years has elapsed since last security was received from or refunded to student(s).

3. An amount of Rs. 8,02,418 /- is outstanding to Mr. Pradeep Sarin, a former employee of the institute as he was relieved from his duties vide office order Dt. 27.11.2015 by then Chairman for the year 2015-16, however, despite repeated requests and reminders he failed to report to the NIRC office and complete the retirement formalities.

4. As per online dues status verified, the NIRC has the outstanding TDS demand of Rs.4,02,960. There has been no correspondence with department as such during the year. Although the provision for the same has been made this year,

5. Current account – Publication, Form, Prospectus and Current Account (Reimbursement of Expenses) contains the balances receivable from various chapters. The balance outstanding older than January 2014 amounting to

Rs. 41,625.00 has been written off as per council decision, since no confirmation has been obtained from the chapters.

6. Legal Charges amounting to Rs.1,07,800 pertain to a case filed against NIRC. The same have not been confirmed by the head office and NIRC has spent the money with the approval of Regional council.

9. **Contingent Liability (Claims not acknowledged as Debt)**

a) As per policy medical expenses (General, Pathology expenses) are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years.

As on 31st March 2017, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs.69, 02,306/-.

b) There is a legal suit filed by ex contractual employees against EIRC claiming compensation. This is contested by EIRC in Court of Law. The quantum is yet to be ascertained.

10. Study Materials under syllabus 2012 have been written off considering the commencement of new syllabus w.e.f 1st Aug 2016 and examination under syllabus 2012 to be held up upto Dec 2017. The impact of such write off are as follows:

	Qty	**Amt (Rs in Lakhs)**
Study notes (Foundation courses syllabus 2012)	15177	10.61
CMA Target success books (syllabus 2012)	65020	13.84
Prospectus (syllabus 2012)	3360	0.81
Total		**25.26**

11. In respect of freehold land & building and leasehold land, no deed could be produced for Rs.57.73 lakhs. Original deed in respect of freehold land & building could not be produced for Rs.280.07 lakhs (Rs.107.99 lakhs in the name of the Institute & Rs.172.08 lakhs in the name of the chapters).

12. Seventeen Chapters (Bhilai, Indore Dewas, Coimbatore, Mangalore, Neyveli, Palakkad, Ukkunagaram, Agartala, Durgapur, Hazaribag, Jamshedpur, Naihati-Ichapur, Ajmer Bhilwara, Dehradun, Gorakhpur, Jaipur and Patiala) have not submitted declaration in the form of Representation letter signed by their Auditor to ensure compliance of requirement of Accounts Closing Circular.

13.

Case No	Name of the Party	Case lying in court	Particulars
W.P.NO 22566 (W2016)	Mitra & Associates & others *vs* ICAI & other	Kolkata high Court	Petitioner filed a case for recovery of money. Accrued due to construction & other works of EIRC (84, Harish Mukherjee Road, Kolkata-700026) amounting to Rs 24,79,274/-
Arbitration petition (ST) 7232 of 2017	Gulraj Construction *vs* ICAI	Bombay High Court	Arbitration matter Institute & Vendor for Rs. 4,69,40,914/-. The Institute represented through its empanelled lawyer to the Honourable High court of Bombay that Institute likes to settle the matter out of court.

14. Probability of claims on account of certain statutory liabilities, the quantum of which are unascertainable at this stage.

15. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of accounts.

16. Based on the available information as at 31st March, 2017, there is no amount including Interest thereon payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006".

17. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's groupings.

CMA Arup Sankar Bagchi
Director (Finance)

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

CMA H.Padmanabhan
Vice President

CMA Sanjay Gupta
President

Kolkata
Dated: 16.09.2017

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2016-17

WESTERN REGION			**SOUTHERN REGION**	
Sl. No.	**NAMES**		**Sl. No.**	**NAMES**
1	**WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**		1	**SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL**
2	Ahmedabad Chapter of ICAI		2	Bangalore Chapter of ICAI
3	Aurangabad Chapter of ICAI		3	***Bhadravati -Shimoga Chapter of ICAI #***
4	Baroda Chapter of ICAI		4	Cochin Chapter of ICAI
5	Bhilai Chapter of ICAI		5	Coimbatore Chapter of ICAI
6	Bhopal Chapter of ICAI		6	Erode Chapter of ICAI
7	Bilaspur Chapter of ICAI		7	Godavari Chapter of ICAI
8	Goa Chapter of ICAI		8	Hyderabad Chapter of ICAI
9	Indore-Dewas Chapter of ICAI		9	Kottayam Chapter of ICAI
10	**Jabalpur Chapter of ICAI #**		10	Madurai Chapter of ICAI
11	Kalyan-Ambarnath Chapter of ICAI		11	Mangalore Chapter of ICAI
12	Kolhapur-Sangli Chapter of ICAI		12	Mettur-Salem Chapter of ICAI
13	Kutch-Gandhidham Chapter of ICAI		13	Mysore Chapter of ICAI
14	Nagpur Chapter of ICAI		14	Nellai-Pearl City Chapter of ICAI
15	Nasik-Ojhar Chapter of ICAI		15	Nellore Chapter of ICAI
16	Navi Mumbai Chapter of ICAI		16	*Neyveli Chapter of ICAI*
17	Pimpri–Chinchwad–Akurdi Chapter of ICAI		17	Palakkad Chapter of ICAI
18	Pune Chapter of ICAI		18	**Pondicherry Chapter of ICAI #**
19	Raipur Chapter of ICAI		19	Ranipet-Vellore Chapter of ICAI
20	Surat-South Gujarat Chapter of ICAI		20	Thrissur Chapter of ICAI
21	Vapi-Daman-Silvassa Chapter of ICAI		21	Tiruchirapalli Chapter of ICAI
22	*Vindhyanagar Chapter of ICAI*		22	Trivandrum Chapter of ICAI
23	*Solapur Chapter*		23	Ukkunagaram Chapter of ICAI
			24	Vijayawada Chapter of ICAI
			25	Visakhapatnam Chapter of ICAI

EASTERN REGION			**NORTHERN REGION**	
Sl. No.	**NAMES**		**Sl. No.**	**NAMES**
1	**EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**		1	***NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL***
2	***Agartala Chapter of ICAI***		2	**Agra-Mathure Chapter of ICAI #**
3	Asansol Chapter of ICAI		3	Ajmer-Bhilwara Chapter of ICAI
4	Bokaro Steel City Chapter of ICAI		4	Allahabad Chapter of ICAI
5	Bhubaneswar Chapter of ICAI		5	Chandigarh-Panchkula Chapter of ICAI
6	Cuttack Jagatsinghpur Kendrapara Chapter of ICAI		6	Dehradun Chapter of ICAI
7	Dhanbad-Sindri Chapter of ICAI		7	Faridabad Chapter of ICAI
8	Durgapur Chapter of ICAI		8	***Ghaziabad Chapter of ICAI #***
9	Guwahati Chapter of ICAI		9	Gorakhpur Chapter of ICAI
10	Hazaribag Chapter of ICAI		10	Gurgaon Chapter of ICAI
11	Howrah Chapter of ICAI		11	Hardwar-Rishikesh Chapter of ICAI
12	**Jajpur-Keonjhar Chapter of ICAI #**		12	Jaipur Chapter of ICAI
13	Jamshedpur Chapter of ICAI		13	Jalandhar Chapter of ICAI
14	Kharagpur Chapter of ICAI		14	*Jammu Srinagar Chapter of ICAI*
15	Naihati-Ichapur Chapter of ICAI		15	Jhansi Chapter of ICAI
16	Patna Chapter of ICAI		16	Jodhpur Chapter of ICAI
17	Rajpur Chapter of ICAI		17	Kanpur Chapter of ICAI
18	Ranchi Chapter of ICAI		18	Kota Chapter of ICAI
19	Rourkela Chapter of ICAI		19	Lucknow Chapter of ICAI
20	Sambalpur Chapter of ICAI		20	Ludhina Chapter of ICAI
21	Serampore Chapter of ICAI		21	***Naya Nangal Chapter of ICAI #***
22	Siliguri-Gangtok Chapter of ICAI		22	**Noida Chapter of ICAI #**
23	South Orissa Chapter of ICAI		23	Patiala Chapter of ICAI
24	**Talcher-Angul Chapter of ICAI #**		24	Udaipur Chapter of ICAI

=Net Included

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.29 23:14:45 +05'30'